आरक्षित निर्णय

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

2017 की रिट याचिका संख्या 631 (एम/एस)

अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड .... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ....प्रतिवादीगण

साथ

2016 की रिट याचिका संख्या 187 (एम/एस)

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड.. याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ....प्रतिवादीगण

साथ

2016 की रिट याचिका संख्या 272 (एम/एस)

नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ....प्रतिवादीगण

साथ

2016 की रिट याचिका संख्या 1500 (एम/एस)

अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड ....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ....प्रतिवादीगण

साथ

<u>2016 की रिट याचिका संख्या 2074 (एम/एस)</u>

मेसर्स स्वस्ति पावर प्रा. लिमिटेड ....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ....प्रतिवादीगण

साथ

<u>2016 की रिट याचिका संख्या 3084 (एम/एस)</u>

मैसर्स भिलंगना हाइड्रो पावर लिमिटेड .... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ....प्रतिवादीगण

साथ

<u>2017 की रिट याचिका संख्या 123 (एम/एस)</u>

मेसर्स जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .... प्रतिवादीगण

साथ

<u>2018 की रिट याचिका संख्या 641 (एम/एस)</u>

मेसर्स स्वस्ति पावर प्रा. लिमिटेड .... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ....प्रतिवादीगण

साथ

<u>2019 की रिट याचिका संख्या 2396 (एम/एस)</u>

अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड .... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ....प्रतिवादीगण

साथ

<u>2019 की रिट याचिका संख्या 3603 (एम/एस)</u>

अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड.. याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ....प्रतिवादीगण

साथ

<u>2020 की रिट याचिका संख्या 279 (एम/एस)</u>

अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड ....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ....प्रतिवादीगण

श्री वीके कोहली, श्री मोहन परासरन, श्री गौरव बनर्जी, श्री. अरविन्द वशिष्ठ, श्री डी.एस. पाटनी, वरिष्ठ अधिवक्तागण द्वारा सहयोग किया गया श्री दिव्य कांत लाहोटी, श्री आलोक मेहरा, श्री शोभित सहरिया, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्तागण। श्री दिनेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता ने डॉ. अभिषेक अत्रे से सहायता प्राप्त, श्री प्रतीक द्विवेदी, श्री शिवम सिंह, अधिवक्ता के साथ सुश्री अंजलि भरवावा, श्री पी.सी. बिष्ट, अति. मुख्य स्थायी वकील और श्री नारायण दत्त, प्रतिवादी राज्य के लिए संक्षिप्त धारक। श्री आदित्य सिंह, याचिकाकर्ता मेसर्स भिलंगना हाइड्रो पावर लिमिटेड के वकीलश्री गोपाल के. वर्मा, अतिरिक्त. उत्तर प्रदेश राज्य के लिए सी.एस.सी.। श्री राजेश शर्मा और श्री संजय भट्ट, भारत संघ के लिए स्थायी वकील। श्री यूके उनियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राजीव श्रीवास्तव द्वारा सहायता प्रदान की गईऔर श्री जीतेन्द्र चौधरी, प्रतिवादी यूपीपीसीएल के वकील। उद्धृत मामलों की कालानुक्रमिक सूचीः

1. (2017) 12 एससीसी 1, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और अन्य बनाम राज्य हरियाणा और अन्य।
2. (2010) 6 एससीसी 449, गोवा ग्लास फाइबर लिमिटेड बनाम गोवा राज्य और एक और।
3. (2010) 12 एससीसी 1, भानुमती एवं अन्य बनाम। यूपी राज्य।
4. (2005) 8 एससीसी 334, गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरेशी कसाब जमात।
5. (2004) 1 एससीसी 712, धरम दत्त बनाम भारत संघ।
6. (2004) 2 एससीसी 249, एमपी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।
7. (2004) 6 एससीसी 465, पंजाब राज्य बनाम नेस्ले इंडिया लिमिटेड और अन्य।
8. (2004) 10 एससीसी 201, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य।
9. (2001) 3 एससीसी 654, नगर परिषद कोटा बनाम दिल्ली कपड़ा और जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड।
10. (1997) 2 एससीसी 42, इच्छापुर औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड बनाम सक्षम प्राधिकारी, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग
11. (1997) 2 एससीसी 453, बिहार राज्य बनाम बिहार डिस्टिलरी लिमिटेड।
12. (1996) 3 एससीसी 709, आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी और अन्य।
13. (1995) 1 एससीसी 274, कासिंका ट्रेडिंग और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य।
14. 1993 सप्लि. (I) एससीसी 96 (II), कावेरी जल के मामले मेः विवाद न्यायाधिकरण।

15. (1992) 2 एससीसी 411, अमृत बनस्पति कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य।
16. (1990) 1 एससीसी 12, इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य।
17. (1990) 1 एससीसी 109, सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम यूपी राज्य।
18. (1983) 4 एससीसी 45, होचस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम बिहार राज्य।
19. (1969) 2 एससीसी 55, सहायक शहरी भूमि कर आयुक्त बनाम बकिंघम एंड कर्नाटक कंपनी लिमिटेड।
20. एआईआर 1967 एससी 40, फर्म बंसीधर प्रेसुखदास बनाम राजस्थान राज्य।
21. 1965 2 आंध्र लॉ टाइम्स 297, एनआर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य।
22. एआईआर 1953 एससी 375, केसी गजपति नारायण देव और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य।

<u>{प्रतिः माननीय लोकपाल सिंह, जे.}</u>

चूंकि उपरोक्त रिट याचिकाओं में तथ्य और कानून का समान मुद्दा शामिल है इसलिए, उनका निर्णय संक्षिप्तता और सुविधा के लिए इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2) रिट याचिका क्रमांक. 2016 का 1500 (एम/एस) अग्रणी मामला होगा

3) याचिकाओ की वर्तमान बैच में याचिकाकर्ताओ के रूप में नदी के पानी का उपयोग करके बिजली के उत्पादन करने वाली बिजली उत्पादक कंपनियां लगी हुई हैं। याचिकाकर्ता, अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड (एएचपीसीएल) ,विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम, 2012 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित), में अन्य बातों के साथ–साथ, पर निम्नलिखित आधार में अन्तर्निहित उत्तराखंड की संवैधानिक वैधता और अधिकार का प्रयोग करना चाहता है–

(I) उक्त अधिनियम का अधिनियमन, प्रख्यापन और अधिसूचना भारतीय संविधान के अनुच्छेदों 200, 246, 248, 256, 285, 288(2) एवं 300ए के प्रावधानों का उल्लंघन है।

(II) उक्त अधिनियम का अधिनियमन, प्रख्यापन और अधिसूचना भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रथम सूची की प्रविष्टि 97 के प्रावधान का उल्लंघ ान है।

(III) उक्त अधिनियम का अधिनियमन, प्रख्यापन और अधिसूचना भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की II सूची की प्रविष्टि 17 के प्रावधान का उल्लंघन है

(IV) उक्त अधिनियम का अधिनियमन और अधिसूचना जारी होने के लिए विचार और सहमति देना संविधान के अनुच्छेद 200 और 288(2) का उल्लंघन है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल, बिना भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करे उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल सहमति प्राप्त की गयी।

(V) जल कर की दरों का निर्धारण उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के प्रावधानों के माध्यम से प्रतिवादी संख्या द्वारा जारी अधिसूचना 1 से 5 में होना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 288(2) का उल्लंघन है चूँकि उक्त अधिनियम बिना भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त किये प्रख्यापित किया गया था जो कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 288(2) के तहत अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन है, जिसमें यह आंशिक रूप से राज्य विधानमंडल के लिए अनिवार्य है कि किसी भी दर के निर्धारण के मामले में, और नियमों के माध्यम से ऐसे कर की अन्य घ टनाएं या आदेश किसी भी प्राधिकारी द्वारा कानून के तहत किए जाने चाहिए, कानून ऐसा कोई भी नियम या आदेश बनाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के लिए प्रावधान करेगा। जलकर की दरें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति प्राप्त नही है।

(VI) उक्त अधिनियम का अधिनियमन, प्रख्यापन और अधिसूचना जो जल कर लगाता है भारत का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत याचिकाकर्ता के व्यापार और व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है

(VII) उक्त अधिनियम का का अधिनियमन, प्रख्यापन और अधिसूचना मनमाना होकर राज्य की कार्रवाई में मनमानापन प्रकट कर रहा ह इस प्रकार, प्रतिवादी राज्य उत्तराखंड की शक्तियो के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(जी) मे निहित याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

4) वर्तमान विवाद की उत्पत्ति जहां से है उसमें यह बात सामने आती है कि वर्ष 1981 में एक परियोजना का नाम श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है, जिसकी 330 मेगावाट की क्षमता की संकल्पना तत्कालीन सरकार द्वारा की गई थी। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट यूपी के तत्कालीन सिंचाई विभाग को सौंपा गया था और विश्व बैंक से निधि विकसित किये जाने की योजना बनाई गई थी यह कहा जाता है कि यूपी सरकार की इस परियोजना को विकसित करने में अत्यधिक देरी के कारण

विश्व बैंक ने धनराशि वापस ले ली ओर निधि की कमी के कारण यूपी सरकार ने परियोजना निजी पार्टियों को सौंपने का फैसला किया। टाटा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TATA/TPCL) ने परियोजना विकास कार्य, का अधिग्रहण कर लिया जो प्रोजेक्ट में प्रगति करने में सफल नहीं हो सका और अंततः, वर्ष 2005 में, जी.वी.के हैदराबाद के ग्रुप ने कार्यभार संभाला और परियोजना विकास कार्य उसे सौंपा। पहले, जब डंकन्स नॉर्थ हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड (डंकन्स) (अब अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी के नाम से जाना जाता है) को परियोजना सौपी गयी थी तो पक्षकारो के मध्य एक समझौता ज्ञापन और कार्यान्वयन समझौता (आई0ए0) दिनांक 27.08.1998 प्रवेश किया गया था। इससे पहले, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य और डंकन्स के बीच दिनांक 28.08.1998 को अलकनंदा नदी से बिजली पैदा करने के लिए डंकन्स को पानी का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करने के लिए समझौता हुआ थां। इसी बीच साल 2000 में उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद परियोजना से उत्पन्न होने वाली लाभ को यूपी राज्य, उत्तराखंड राज्य और अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड (एएचपीसीएल) के बीच साझा करने की संकल्पना की गई थी और इसेको प्रभाव देने के लिए उक्त तीनों पक्षों के बीच समझ, मौजूदा आईए में संशोधन किया गया और कार्यान्वय समझौता (आरआईए) को पुनः निर्धारित किया गया। याचिकाकर्ता एएचपीसीएल, यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार ने आईए में संशोधन किया और पुनर्कथन कार्यान्वयन समझौता 10.02.2006 (आरआईए)में प्रवेश किया जिससे यह प्रत्येक पक्ष, के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट शब्दों में चित्रित करें। जिसमें यह पहलू भी शामिल है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा 12% बिजली की आपूर्ति उत्तराखंड सरकार को निःशुल्क और परियोजना हेतु उत्तराखंड राज्य में स्थित अलकनंदा नदी के जल के उपयोग के लिए एक 'रॉयल्टी' के रूप में की जानी है।

5) आरआईए के खंड 1.65 स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "जल उपयोग समझौता' या WUA का अर्थ है दस्तावेज, जैसा कि तत्कालीन सरकार यूपी और कंपनी के बीच 28 अगस्त, 1998 को निष्पादित किया गया था जिससे तत्कालीन सरकार. यूपी ने कंपनी को अलकनंदा नदी परियोजना हेतु विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए पानी का उपयोग करने के अधिकार को मंजूरी दी थी "

6) आरआईए का खंड 13 जल प्रयोग के अधिकार को परिभाषित करता है और इस प्रकरा प्रदान करता है कि "उत्तराखंड सरकार इसके द्वारा कंपनी को, सही, अवधि के दौरान किसी भी और सभी शुल्क से मुक्त परियोजना के लिए अलकनंदा नदी के पानी का उपयोग करने और साइट पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए और ऐसे उचित उद्देश्य जो सीधे संबंधित और आवश्यक हैं विद्युत उत्पादन के

लिए। तथा पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के अधीन तथा इस आरआईए की शर्तों के अनुसार परियोजना के अनुपालन के अधीन है ऐसा अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार पहले तत्कालीन हस्ताक्षर किए जल उपयोग समझौते (डब्लूयूए) के अन्तर्गत कंपनी को उपलब्ध था पर जो अब इस आरआईए के प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, उत्तराखंड सरकार इस परियोजना द्वारा उत्पन्न आरआईए अवधि के दौरान कोई टैक्स किसी भी प्रकार की बिजली का शुल्क, लेवी या शुल्क नहीं लगाएगी।

7) यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त के मद्देनजर कोई कर/उपकर/शुल्क आदि उस पानी पर लागू नहीं होगा जिसका उपयोग याचिकाकर्ता कंपनी विशेष रूप से बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके अलावा, आरआईए दिनांक 10.02.2006 का खंड 17.1, निम्नानुसार प्रदान करता हैः

''17.1 कंपनी के दायित्वः उत्पादन टर्मिनलों पर उत्पन्न संपूर्ण ऊर्जा परियोजना को ''ऊर्जा आउटपुट'' कहा जाएगा। ऊर्जा उत्पादन और सहायक उपभोग के बीच अंतर को ''बिक्री योग्य'' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।'' बिक्री योग्य ऊर्जा की आपूर्ति विधिवत की जाएगी कंपनी द्वारा 400 केवी इंटरकनेक्शन कंपनी के आउटलेट स्विचयाड पर 400 के0वी0 मीटर पर लगाया गया। उत्तराखंड सरकार 12 % परियोजना से बिक्री योग्य ऊर्जा निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा। यूपी सरकार /यूपीपीसीएल और कंपनी इस बात पर सहमत हैं कि यह 12% मुफ्त है लागत मूल्य की बिक्री योग्य ऊर्जा सरकार को आपूर्ति की जाएगी कंपनी द्वारा उस 12% बिक्री योग्य ऊर्जा के एवज में जो पहले निःशुल्क आपूर्ति की जानी आवश्यक थी कंपनी द्वारा यूपी सरकार/यूपीएसईबी को। उत्तर प्रदेश सरकार/यूपीपीसीएल/कंपनी उत्तराखंड सरकार को 12% बिक्री योग्य ऊर्जा के ऐसे हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगी जो 400 के.वी 400 केवी आउटलेट गैन्ट्री पर इंटरकनेक्शन पॉइंट कंपनी का स्विचयार्ड श्रीनगर में....''

8) यह कहा गया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा बांध और अन्य परियोजना विकास काय का निर्माण कार्य वर्ष 2005–06 में, शुरू किया गया है यह अप्रैल माह 2015 में ही कार्य पूरा हो सका और इसके वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की थी यूनिट–1 ने दिनांक 23.04.2015 तथा यूनिट–3 दिनांक 10.05. 2015 एवं यूनिट–2 और 4 20.06.2015 को । इस प्रकार, अप्रैल 2015 तक, परियोजना ने बिजली उत्पादन के लिए अलकनंदा नदी से किसी भी पानी का उपयोग नहीं किया है। यह आगे कहा कि इसकी स्थापना के समय परियोजना या इसके अधिनियम से पहले किसी भी समय विद्युत उत्पादन पर उत्तराखंड जल कर अधिनियम, 2012 (अधिनियम) में याचिकाकर्ता द्वारा निकाले गए पानी जिसका

उपयोग या तो निर्माण उद्देश्यों के लिए किया गया था या बिजली उत्पादन के लिए पर कोई भी कर या उपकर थोपा नहीं गया। याचिकाकर्ता पर पहले के समय में कोई टैक्स/सेस/रॉयल्टी नहीं लगाया गया। संभवतः आरआईए के अनुपालन के कारण जो उस परियोजना से उत्पन्न 12% शक्ति निःशुल्क दिये जाने पर विचार करते हैं उत्तराखंड राज्य को याचिकाकर्ता, द्वारा लागत के रूप में/प्रति द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बदले रॉयल्टी देने अर्थात जल संसाधन दिये जाने पर विचार करते है प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 07.11.2015 की आक्षेपित अधिसूचना के माध्यम से (कथित तौर पर उक्त अधिनियम की धारा 17(1) के तहत) जारी किये गये प्रख्यापन के बारे में याचिकाकर्ता को जानकारी दी गई आगे बताया कि जल विद्युत परियोजनाएं 5 से अधिक की संख्या में उत्तराखंड राज्य में स्थित है जो मेगावाट क्षमता (याचिकाकर्ता की तरह) कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी उत्पादन के प्रयोजनों के लिए खींचे गए पानी पर अगले तीन वर्षों के लिए बिजली की दरें इस प्रकार हैः

क्र.सं.	**उपलब्ध हैड**	**जल कर की दर**
1	30.00 एम तक	02 पैसे प्रति घन मीटर
2	31.00 एम से 60.00 एम	05 पैसे प्रति घन मीटर
3	61.00 एम से 90.00 एम	07 पैसे प्रति घन मीटर
4	90.00 एम से ऊपर	10 पैसे प्रति घन मीटर

9) इसके बाद, एक विवादित पत्र दिनांकित 07.12.2015 जो प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा जारी किया गया था जिसके माध्यम से इस पर प्रकाश डाला गया था कि उक्त अधिनियम में के तहत याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिएपंजीकरण करने और फॉर्म भरकर पंजीकरण शुल्क जमा करने की आवश्यकता है यह कहा गया कि अचानक याची को प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा जारी आक्षेपित पत्र दिनांक 26.04.2016 रिसीव हुआ जिसमें बिजली के उत्पादन हेतु कथित पानी के उपयोग के लिए उक्त अधिनियम के तहत राशि रु. 27,97,39,600/– (नवंबर 2015 से मार्च 2016 की अवधि के लिए) की मांग की जा रही है। अधिनियम की धारा 12(2) के प्रावधान के अनुसार,उत्तराखंड में हाइड्रो बिजली स्थेशनों को अधिनियम के तहत स्थापित आयोग में अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि, 15.08.2015 से छह की अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है और आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता को पंजीकृत करने का आदेश पारित करेगा आवेदन प्राप्त करने की तिथि से छह की अवधि के भीतर । उपर्युक्त धारा में आगे कहा गया है कि उपयोगकर्ता यदि

निर्धारित समय के भीतर आवेदन करने या पंजीकरण करने में विफल रहता है तो आयोग तुरंत जुर्माना लागू करेगा जो लंबे समय तक डिफॉल्ट होने पर बढ़ाया जा सकता है। अधिनियम की प्रासंगिक धाराए 9, 10 और 12 इस प्रकार हैं:

''9. कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी योजना स्थापित नहीं करेगा, जो पानी के उपयोग या किसी अन्य तरीके से पानी उपयोग करने को चाहे, जब तक कि वह धारा 10 के तहत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, में ऐसा करने के लिए अधिकृत न किया गया हो।

10. कोई भी उपयोगकर्ता जो पानी (गैर–बिजली उत्पादन के लिए उपभोग्य) का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए करना चाहता है वह अधिनियम के तहत उपयोगकर्ता और आयोग के बीच समझौताग क`निष्पादन के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कियाजाने पर ऐसा कर सकेगा।

12(1) पंजीकृत उपयोगकर्ता जल कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिजली उत्पादन के लिए निकाले गए पानी पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) जहां किसी उपयोगकर्ता ने अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले बिजली उत्पादन के उद्देश्य से जिलविद्युत योजना का निर्माण कर चुका है ऐसा उपयोगकर्ता, अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए अधिनियम के तहत आवेदन करेंगा और आयोग उपयोगकर्ता को आवेदन प्राप्ति की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पंजीकृत करने का आदेश पारित करेगा।

(3) यदि उपधारा (2) में उल्लिखित उपयोक्ता उसमें निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण करने में विफल रहता है तो आयोग तत्काल उचित जुर्माना लगाएगा जिसे लंबे समय तक चूक की स्थिति में बढ़ाया जा सकता है।

10) अधिनियम का अध्याय 4'उपयोगकर्ता द्वारा खींचे गए पानी का आकलन''करने का वर्णन करता है।

11) अधिनियम की धारा 14.1 में खींचे गए पानी का आकलन करने की प्रक्रिया का प्रावधान है जो निम्नानुसार है:

''आयोग के प्रवाह मापने का उपकरण स्थापित स्थापित करेगा या कराएगा योजना के परिसर में या ऐसे अन्य स्थान पर जिसे आयोग निकाले गए पानी को मापने के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त मानता है या उपयोगकर्ता द्वारा

बिजली उत्पादन हेतु खींचे गए पानी के मूल्यांकन के लिए कोई अप्रत्यक्ष तरीका अपना सकते हैं''

12) अधिनियम की धारा 14.2 निम्नानुसार प्रदान करती हैः

''आयोग या तो स्थापित कर सकता है या उपयोगकर्ता को प्रवाह मापने वाला उपकरण स्थापित करने के लिए कह सकती है उनके द्वारा अनुमोदित विनिर्देश परिसर में या उसके स्थान पर या ऐसे अन्य स्थान पर जो आयोग निर्देश दे सकता है और उसके बाद ऐसे उपयोगकर्ता द्वारा ऐसी स्थापना पर किया गया व्यय उपयोगकर्ता द्वारा देय जल कर के प्रति समायोजित कर सकता है।''

13) याचिकाकर्ता का मामला यह है कि प्रतिवादी ने पानी मापने के लिए परिसर के भीतर न तो कोई प्रवाह माप उपकरण स्थापित किया और न ही इसमें उपयोग किए गए पानी की मात्रा को मापना के लिए कोई वैकल्पिक तरीका अपनाया गया और यह कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए व्यय को समायोजित करने के लिए कोई विशिष्टता निर्धारित नहीं की। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना आक्षेपित नोटिस जारी किया गया था। अधिनियम का अध्याय 5 ''जल कर'' संबंधित है अधिनियम की धारा 17.1 निर्धारित करती ळे कि– ''अधिनियम के तहत उपयोगकर्ता ऐसी दरों पर जल कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो सरकार इस संबंध मै अधिसूचना द्वारा तय कर सकती है।'' आगे, अधिनियम की धारा 19(1) यह अनिवार्य करता है कि आयोग द्वारा बिजली उत्पादन के लिए उपयोगकर्ता द्वारा खींचा गया पानी की और उसके जल कर की गणना का मूल्यांकन किया जाए। धारा 19(2) प्रावधान है कि उपयोगकर्ता को उपधारा (1) के तहत मूल्यांकन के अनुसार जल कर का भुगतान करना होगा।

14) आरोप है कि न तो कोई आयोग अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था और न ही ऐसे आयोग ने याचिकाकर्ता द्वारा लिये जल के आधार पर कर की गणना की। आक्षेपित नोटिस कानून की दृष्टि अधिनियम, की धारा 14, 17 और 19 के तहत अनुपालन की कमी के कारण में खराब है बल्कि निराधार हैं क्योकि नोटिस के तहत किए गए दावे निरधारा और महज अनुमानों और अनुमानों पर बनाए गए हैं ।

15) याचिकाकर्ता के अनुसार, जल कंडक्टर प्रणाली के प्रवेश और निकास के स्तर में अंतर होने के कारण हाइड्रो स्टेशन में उत्पन्न बिजली की मात्रा 'सिर' के अनुपात में है । इसलिए निचले सिर वाला हाइड्रो स्ओशन की तुलना में हाई हेड पावर स्ओशन में हाइड्रो टर्बाइन से समान मात्रा में पानी गुजर ने से अधिक बिजली पैदा होगी। इस प्रकार, 'शीर्ष' के श्रेणीबद्ध पैमाने के आधार पर प्रति घन मीटर

पानी की मात्रा पर जल कर लगाना वास्तव में बिजली उत्पादन पर जलकर लगाना हैं। यह तर्क दिया गया है कि बिजली उत्पादन जलकर लगाने हेतु अधिसूचना, याचिकाकर्ता को उचित सूचना एवं अवसर दिये बिना जारी कर दी गई है इसके अलावा याचिकाकर्ता पर रॉयल्टी के प्रति जो देनदारी रही है वह या तो आरआईए व्यक्त शर्तों के अनुसार या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तय नहीं किया गया है। आरआईए उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और याचिकाकर्ता के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है इसके तहत उत्तराखंड सरकार और यूपी सरकार द्वारा एएचपीसीएल/याचिकाकर्ता पर नियम और शर्तें लागू की गईं। आरआईए, शर्तों के अनुसार कोई रॉयल्टी, टैक्स, सेस या कोई अन्य भुगतान, जो याचिकाकर्ता द्वारा किया जाएगा, नहीं होगा। इस प्रकार, यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को आरआईएजो उन दोनों पर एक बाध्यकारी समझौता है के तहत, प्रदान की गयी एक स्पष्ट छूट हे। आरआईए में याचिकाकर्ता की एक्सप्रेस सहमति के बिना किए गए कोई परिवर्तन न केवल आरआईए समझौते की शर्तों का उल्लंघन, होगे बल्कि यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार के कृत्य एकपक्षीय, मनमाना और इस प्रकार कानून के तहत अस्थिर होगें। आरोप है कि याचिकाकर्ता पर अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे और याचिकाकर्ता कर या उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा। दूसरी ओर, वही आरआईए परियोजना से 12% बिजली उत्तराखंड राज्य में. स्थित नदी के पानी के उपयोग के कारण उत्तराखंड राज्य को निःशुल्क प्रदान किये जाने की परिकल्पना करता है इससे कोई भी कर, उपकर या रॉयल्टी लगाना कराधान को दोगुना करने के समान होगा और इस प्रकार, अधिनियम अवैध हो जाता है और इसलिए, याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होता और आक्षेपित नोटिस अवैध घोषित किये जाने योग्य है और उसे रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा आरोप है कि उत्तराखंड राज्य आरआईए का पक्षकार है इसे याचिकाकर्ता पर अधिनियम का प्रावधान लागू नहीं करने चाहिए थे क्योंकि यह एक तरफ तो समझौता (आरआईए) द्वारा याचिकाकता से अधिरोपित देय कोई कर, उपकर या रॉयल्अी में छूट नहीं देने पर सहमति व्यक्त करता है और दूसरी ओर, बाद में सम्मान की परवाह किए बिना आरआईए की शर्तों को रद्द करने वाला स कानून बनाकर ऐसे दिए गए अधिकार को विनियोग करता ळे और इस प्रकार परियोजना समझौता (पीपीए) के तहत बिजली खरीद की शर्तों में बिजली पैदा करने में इस्तेमाल होने वाले पानी पर टैक्स की मांग करता ळे जबकि यह 12% मुफ्त बिजली का आनंद लेना जारी रख रहा है इस प्रकार, उत्तराखंड राज्य दोहरा लाभ लेने का प्रयास कर रहा है, यह राज्य का मनमाना कृ त्य है और यह कि आक्षेपित अधिनियम रदद होने योगय है। उत्तराखंड राज्य के

अधिनियम याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। अतः रिट याचिका प्रस्तुत करें।

16) प्रतिवादी की संख्या 1 और 3, की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया गया है उसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता किसी भी रूप मेंराहत का हकदार नहीं है क्योकि राज्य सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार उत्पादन हेतु जल का भंडारण एवं उपयोग पर कानून बनाने और लगाने में सक्षम हैं। आगे कहा गया है कि प्रतिवादी स्टेट ने जल संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करनें और इसका उचित प्रबंधन करंने हेतु अपने को सभीजल संसाधन का मालिक होना आवश्यक समझा। ताकि भविष्य में जल संघर्ष से बचा जा सके। जल संसाधन का प्रबंधन करने के लिए, जल संसाधनों को अच्छी स्थिति में बनाए रखनें, तथा अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए, विचाराधीन अधिनियम तैयार किया गया जो कि राष्ट्रीय मसौदा जल नीति और कार्य योजना के अनुरूप है। विभिन्न देशों का उदाहरण देते हुए जहां पानी व जल उपयोगकर्ताओं से शुल्क, विशेष रूप से जल विद्युत से विद्युत परियोजनाओं पर वर्तमान समय में चार्ज लगाया जा रहा है कहा गया है कि विस्तृत राज्य जल नीति तैयार करने के लिए, पहले कदम के रूप में, उत्तराखंड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम , 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 सन् 2013) लाया गया। जिसका उद्देश्य स्वयं ही यह सुझाव देता है कि अधिनियम राज्य के भीतर जल संसाधनों को विनियमित करने के लिए उत्तराखंड जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण बिल की स्थापना के लिए प्रावधानित करता है। आगे कहा गया है कि जैसे उत्तराखंड में प्रचुर जल संसाधन है और इन स्रोतों की बढ़ती मांग के कारण राज्य और राष्ट्र के लाभ के लिए इसे संभव तरीके से संरक्षित करने और सर्वोत्तम उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए, उपयोग पुनर्प्राप्त करने के एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए,बिजली पैदा करने के लिए, पानी पर शुल्क हेतु "विद्युत उत्पादन पर उत्तराखंड जल कर अधिनियम, 2012" लागू हुआ। ये भी कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों को दायर रिट याचिका के माध्यम से चुनोती देना बिल्कुल गलत परिसरों और आधारों पर आधारित है और भारत के संविधान के तय प्रावधानों के खिलाफ है। बताया गया है कि भारत के संविधान की सूची II, प्रविष्टि 17 के प्रावधानों के अनुसार जल, यानि जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल विद्युत परियोजनाएँ सूची I (संघ) की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन, सूची II (राज्य सूची) में दी गई हैं। सूची I की प्रविष्टि 56 में विनियमन और अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों का उस हद तक विकास शामिल है जिसे संघ के नियंत्रण में संसद द्वारा कानून बनाकर जनता के समक्ष समीचीन हित हेतु विकास को आवश्यक बनाया गया हें और इस तरह के संसदीय विनियमन संविधान

के तहत नेविगेशन, शिपिंग आदि तक ही सीमित है। लेकिन बिजली का उत्पादन पानी के भंडारण और उपयोग के लिए नहीं। संसद द्वारा सूची I की प्रविष्टि 56 के अंतर्गत एकीकृत और अंतरराज्यीय नदी घाटियों का इष्टतम विकास को बढ़ावा देने के लिए एकमात्र कानून नदी बोर्ड अधिनियम , 1956 बनाया गया ळे । यह कहा गया है कि अधिनियम में बोर्ड की सिंचाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बाढ़ नियंत्रण नेविगेशन, जल संरक्षण मे सक्षम विशेषज्ञ निकाय, होने की परिकल्पना की गई है। इन निकायों को सलाहकार निकाय होना चाहिए और उनके कार्य राज्य सरकार का ेअंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटी का विकास और विनियमन जो उनके अधिकार क्षेत्र में के संबंध में है, सलाह देना है। लेकिन सूची–I के प्रविष्टि 56 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है कि वह प्राकृतिक उपभोक्ताओं से विद्युत उत्पादन हेतु जल संसाधन के पानी के उपयोग पर शुल्क या टैरिफ पर कानून बनाएं। सूची–I की प्रविष्टि 56 के अलावा, संघ संभवतः बाढ़ रोकने के लिए सूची–I की प्रविष्टि 24 के अंतर्गत बांधों आदि का निर्माण हेतु कदम उठाएगा,जो अंतर्देशीय नौवहन और नेविगेशन की बात करता ळे जिन्हे यांत्रिक चालित जलमार्ग जहाज के संबंध में संसद द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों धोषित किया गया है। अतः उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार राज्य के क्षेत्र के भीतर स्थित प्राकृतिक संसाधन से बिजली उत्पादन के लिए पानी के उपयोग पर शुल्क लगाने हेतु कानून बनाने के लिए सक्षम है। काउंटर शपथ पत्र के पैरा–32 में में कहा गया है कि माननीय उत्तराखंड के राज्यपाल ने उक्त अधिनियम, 2012 जो राज्य विधायिका द्वारा अपनी भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 163(2) मे दी गयी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया गया इस पर सहमति दे दी ळे । इसलिए संविधान के अनुच्छेद 246 का उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता ळे क्योंकि कानून बनाया गया मामला वह मामला नहीं है जो सूची I (संघ सूची) या सूची II (समवर्ती सूची)में गिना गया है ।

17) प्रत्युत्तर शपथ पत्र में अधिकांश रिट याचिका में दिए गए कथनों को दोहराया गया ळें यह कहा गया है कि सूची I की प्रविष्टि 56 विशेष रूप से भारत संघ को अंतरराज्यीय नदियों और इससे जुड़ी किसी भी नदी से संबंधित सभी मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार देता ळे ओर इसके विपरीत कार्य राज्य विधानमंडल के कानून को प्रादेशिक कानून और राज्य विधानमंडल की शक्ति के उल्लंघन में संबंधित एक अतिरिक्त कानून माना जाता है यह सार्वभौमिक ज्ञात तथ्य है कि गंगा नदी का उद्‌गम गंगोत्री से होता है और बंगाल की खाड़ी में डूबने तक यह न केवल उत्तराखंड से होकर बहती है बल्कि यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य के माध्यम सेे गुजरती भी है ।

18) उभयपक्षों के विद्वान वकील को सुना अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का अवलोकन किया।

19) जो मुद्दे विचार हेतु उठे उनमें इस न्यायालय की रूपरेखा निम्नानुसार तैयार की गई है:

(i) क्या उत्तराखंड राज्य में कर लगाने की विधायी क्षमता है या नहीं?

(ii) विवादित अधिनियम और कर भारत के संविधान की अनुसूची सातवीं की सूची II की प्रविष्टि 17 में नहीं रखा जा सकता क्योकि यह एक सामान्य प्रविष्टि है और कर कानून नहीं रख सकती है। सूची II की प्रविष्टि 17 'कहने के लिए' शब्द तक सीमित है और कर कानून या एक कर का प्रतिपादन नहीं करती।

(iii) सूची II की प्रविष्टि 17, सूची I की प्रविष्टि 56 के अधीन है- अंतरराज्यीय विषय संघ का विशिष्ट डोमे के अंतर्गत आता है गंगा एक अंतर्राज्यीय नदी है, इसलिए पूरी तरह से सूची I की प्रविष्टि 56 के तहत संघ के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आती है और इसलिए राज्य अंतरराज्यीय नदी पर कर नहीं लगा सकते।

(iv) चूंकि अधिनियम का शीर्षक ''उत्तराखंड जल कर विद्युत उत्पादन अधिनियम 2012'' (अधिनियम) और धारा 12 आक्षेपित अधिनियम बिजली उत्पादन पर कर की बात करता है।

(v) क्या जल कर अधिरोपित करने वाला आक्षेपित अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति न मिलने के कारण संविधान के अनुच्छेद 288(2) पर प्रभाव डाल़ता है।

(vi) क्या आक्षेपित अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत है बिजली का उत्पादन मे प्रयुक्त प्रति घन मीटर पानी के उपयोग के अनुसार कर की दर तय करने वाली अधिसूचना 151 संविधान के अनुच्छेद 288(2) के तहत अनिवार्य रूप से अमान्य है ?

(vii) क्या विवादित अधिनियम दुर्भावनापूर्ण है या राज्य की विधायिका की रंगारंग शक्तियो का अभ्यास है।आरआईए या अन्यथा याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित इस अधिनियम के शुरू होने से पहले अधिनियम के साथ विश्वासघात है?

(viii) क्या इसके विरुद्ध वचनबंधन है राज्य, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्होने आरआईए में कोई शुल्क या कर नहीं लगाने पर सहमति व्यक्त की क्या राज्य के पास बिजली उत्पादन पर कर लगाने की शक्ति है या नहीं?

(ix) क्या प्रवाह मापने के लिए उपकरण की स्थापन कराधान के प्रयोजनों के लिए जल प्रवाह मापने हेत नितांत आवश्यक है?

20) आगे बढ़ने से पहले यहां अधिनियम का अध्याय I- में निहित परिभाषाओं को पुनः प्रस्तुत करना उचित होग जो हैः

''परिभाषाएँ 2. इन नियमों में, जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो :–

(ए) ''अधिनियम'' का तात्पर्य विद्युत उत्पादन पर उत्तराखंड जल कर अधिनियम, 2012 से है

(बी) ''आयोग'' का तात्पर्य बिजली पर जल कर के लिए धारा 21 के तहत स्थापित उत्तराखंड राज्य आयोग से हैं।

(सी) ''बिजली'' का अर्थ राज्य क्षेत्र में बहने वाला किसी जल स्रोत से खींचे गए पानी के माध्यम से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा है।

(डी) ''सरकार'' का अर्थ उत्तराखंड सरकार से है

(ई) ''अधिसूचना'' का अर्थ राज्य के राजपत्र में प्रकाशित, अधिसूचना से है और शब्द ''सूचित करें'' का अर्थ उसी प्रकार लगाया जाएगा।

(एफ) ''उपयोगकर्ता'' का अर्थ कोई भी व्यक्ति, समूह व्यक्ति, स्थानीय निकाय, सरकार विभाग, कंपनी, निगम, समाज आदि से ह जो पानी खीचने के लिए अधिकृत या अन्य कोई प्राधिकरण जो अधिनियम की अध्याय–II के तहत बिजली हेतु कसी भी स्रोत से पानी खींचना या पानी निकालने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकृत है।

(जी) ''जल'' का अर्थ निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधन जो किसी भी नदी, धारा, सहायक नदी, नहर मे नाला या कोई अन्य प्राकृतिक प्रवाह पानी या की सतह पर निर्धारित कोई भी भूमि जैसे, तालाब, लैगून, दलदल, वसंत से है।

(एच) ''जल स्रोत'' का अर्थ है एक नदी और उसका सहायक नदियाँ, धारा, नाला, नहर, झरना तालाब, झील, जलधारा या

कोई अन्य वह स्रोत जहाँ से बिजली पैदा करने के लिए पानी खींचा जाता है ।

(आई) ''जल कर'' का अर्थ है बिजली के उत्पादन के लिए निकाले गए पानी पर लगाई गई दर या शुल्क है और इस अधिनियम के तहत तय।''

21) सबसे पहले, श्री गौरव बनर्जी, श्री वीके कोहली, श्री मोहन परासरन, श्री अरविंद वशिष्ठ,श्री डीएस पाटनी विद्वान वरिष्ठ परामर्शदाता याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए और श्री आदित्य सिंह, रिट याचिकाएँ के बैच में विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगी कि यदि आक्षेपित अधिनियम सूची II की किसी भी प्रविष्टि में नहीं आता है तो यह संविधान के विरूद्ध औरराज्य की विधायी क्षमता अधिकारातीत के परे है उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान सूचीII, की प्रविष्टि 17 की ओर किया, जो इस प्रकार हैः

''17. जल, अर्थात् जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, पानी भंडारण और जल विद्युत सूची I की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन है।''

22) यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त प्रविष्टि आक्षेपित शुल्क लगाने की शक्ति का स्रोत नहीं हो सकता है राज्य की विधायी क्षमता को ऐसा कोई कर लगाने के लिए कोई वैधता प्रदान नहीं करता ळे। उक्त प्रविष्टि एक विषय वस्तु 'जल और संबद्ध मामले' से संबंधित एक 'सामान्य प्रविष्टि' है और 'कर प्रविष्टि' नहीं है और पानी का अत्यधिक उपभोग पर कोई भी गैर–कर लगाने का राज्य को अधिकार प्रदान नहीं करती है।

23) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **केसोराम इंडस्ट्रीज लि.**[8] का पैरा 31, उप पैरा 3 में निर्धारित किया गयाः

''31(3) कराधान को विधायी सक्षमता के प्रयोजनों के लिए एक अलग मामला माना जाता है। वहाँ विधान और कराधान के सामान्य विषयों के बीच भेद किया गया है सामान्य विषय को विधान प्रविष्टियों के एक समूह में निपटाया जाता है और कराधान की शक्ति को एक अलग समूह में। सामान्य विधायी प्रविष्टि से कर लगाने की शक्ति को एक सहायक शक्ति के रूप में नहीं ली जा सकती।''

24) आगे केसोराम मामले के पैराग्राफ नं. 74(3) में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः

''74(3) कराधान को मुख्य विषय में शामिल करने का इरादा नहीं है जिसमें यह विस्तारित निर्माण मे होना शामिल माना जा सकता है, लेकिन विधाय प्रयोजनों के लिए एक अलग मामला माना जाएगा और यह भेद संविधान की सूची I में प्रविष्टि 97 और अनुच्छेद 248 के खंड (1) और (2) की भाषा में प्रकट भी होता है। सूचियों में प्रविष्टियों की योजना में, कराधान पर एक विशिष्ट मामले के रूप में अलग से विचार व निर्धारण किया जाता है।''

25) केसोराम मामले के पैराग्राफ नं. 75, 76 और 100 में निम्नानुसार यह निर्धारित किया गया है :

''75. एमपीवी सुंदररामियर एंड कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, एआईआर 1958 एससी 468, का जिक्र करते हुए सब्यसाची मुखर्जी, जे. (जैसा कि उस समय लॉर्ड शिप आधिपत्य थे) पीठ का गठन करने वाले सात न्यायाधीशों में से **सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड**[17] में छह के लिए बोल रहे थे जिन्होने कहा की सातवीं अनुसूची में संविधान की शकित विभाजन योजना के तहत यहा कराधान और अन्य कानूनों के लिए अलग–अलग प्रविष्टियाँ हैं । कर एक सामान्य प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं लगाया जा सकता हैं।

76. उपरोक्त सिद्धांत कायम हैं और मामलों के बाद मामलों में इसका पालन किया गया है।

100. अनुच्छेद 265 आवश्यक करता है कि – कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगेगा या एकत्रित होगा। सातवीं अनुसूची की योजना एक विस्तृत खुलासा करती है कि वधायी विषयों की गणना, काफी हद तक पूर्ववर्ती भारत सरकार अधिनियम से अधिक विस्तारित है। सूची I में प्रविष्टि 97 संसद को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करती है। संविधान का अनुच्छेद 248 जो अवशिष्ट शक्तियों की बात करता है संसद को समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है साथ ही, यह भी प्रदान करता ळे कि ऐसी अवशिष्ट शक्ति में कर लगाने वाले कानून बनाना भी शामिल होगी जिसका इनमें से किसी सूचि में उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि कोई कर लगाने की शक्ति स्पष्ट रूप से सूची II में उल्लेखित है, तो वह अवशिष्ट शक्ति की धारणा के आधार पर संसद द्वारा प्रयोग नही किया जाएगा। भारत संघ बनाम हरभजन सिंह ढिल्लों, (1971) 2 एससीसी 779 में सात जजों की बेंच ने 4:3 के बहुमत से कहा कि किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति अपने साथ हमारी संवैधानिक योजना के तहत कर लगाओ की शक्ति नहीं रखता...''

26) केसोराम के निर्णय के बल पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि निर्णय के पैरा 76 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे स्पष्ट रूप से माना है कि उपर्युक्त सिद्धांत क्षेत्र को कायम रखता है और प्रत्येक मामले में इसका पालन किया गया है। यह है स्पष्ट रूप से माना गया है कि एक सामान्य प्रविष्टि के अंतर्गत कर नहीं लगाया जा सकता है अधिनियम की वैधता के संबंध में सूची II की प्रविष्टियाँ 17 और 18 में बहुत कम तर्क दिया गया है कि दोनों प्रविष्टियाँ सामान्य प्रविष्टियाँ हैं जिनके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के केसोराम का फैसला की आधिकारिक की दृष्टि से कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है।

27) याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ का अगला तर्क हैं कि राज्य का मामला मुख्यतः संविधान की अनुसूची सातवीं की सूची II की प्रविष्टियाँ 49, 45 और 48 पर निर्भर है जो निम्नवत है–

''45. भू–राजस्व, मूल्यांकन सहित और राजस्व का संग्रह, भूमि का रखरखाव अभिलेख, राजस्व उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण और अभिलेख अधिकार और राजस्व का हस्तांतरण।......

48. कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क.......

49. भूमि और भवनों पर कर।''

28) यह तर्क दिया गया है कि राज्य के अनुसार, प्रविष्टियाँ 48 और 49 ''भूमि'' से संबंधित हैं और इसमें सतह के ऊपर या नीचे सब कुछ शामिल है और पानी भूमि का हिस्सा है और अभिव्यक्ति ''भूमि'' को व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए, जिसमें जमीन पर संग्रहीत या जमीन पर बहते हुएपानी भी शामिल है ।''

29) आगे केसोराम के फैसले पर भरोसा करते हुए,वरिष्ठ वकील उक्त फैसले में यह प्रस्तुत करेंगे, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सूची II की प्रविष्टि 49 में इस्तेमाल की गई धारणा 'भूमि' के दायरे और दायरे पर विचार किया है निर्णय का पैरा नं. 44 निम्न प्रकार हैः

''44– **शहरी भूमि कर सहायक आयुक्त**[19] में सूची II में प्रविष्टि 49 की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के उद्देश्य से, ताकि भूमि और भवनों परे विवादित लेवी को कवर किया जा सके, संविधान पीठ ने दोहरे परीक्षण निर्धारित किए, अर्थात् : (i) कि ऐसा कर सीधे भूमि और इमारतों पर लगाया जाता है, और (ii) कि इसका इससे एक निश्चित संबंध होता है– एक बार जब ये परीक्षण संतुष्ट हो गए, तो यह राज्य विधानमंडल के लिए कर लगाने के उद्देश्य से, भूमि और भवनों का वार्षिक मूल्य और पूंजीगत मूल्य अपनाना या कर की घटना का निर्धारण करना

खुला था ,– केवल, ऐसी पद्धति अपनाए जाने के कारण, राज्य विधानमंडल पर सूची I की प्रविष्टि 86, 87 या 88 का अतिक्रमण करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है – सूची में प्रविष्टि 86 एकत्रीकरण के सिद्धांतों पर आगे बढती ळे और कर सभी परिसंपत्तियों के मूल्य की समग्रता पर लगाया जाता है – सूची II में प्रविष्टि 49 के तहत करारोपण के उद्देश्य से भूमि और भवनों को अलग करना काफी स्वीकार्य है सूची II में प्रविष्टि 49 में प्रयुक्त भाषा का आयाम प्रतिबंधित करने का कोई कारण नहीं है – कर लेवी हेतु शहरी भूमि के बाजार मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत की दर पर गणना की गई , जिसे राज्य विधानमंडल की शक्तियों के अंतर्गत माना गया था और सूची I में प्रविष्टि 86 पर ट्रेंचिंग नहीं माना गया था। श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम ब्रोच बरो नगर पालिका (1969) 2 एससीसी 283 में एक अन्य संविधान पीठ द्वारा लिया गया विचार यही ळे, जहां यह प्रस्तुत किया गया कि कर लेवी भूमि और इमारतों पर एक दर नहीं थी जैसा कि उचित रूप से समझा गया था लेकिन बल्कि पूंजीगत मूल्य पर एक कर था जो त्याग दिया गया–''

30) शहरी भूमि के सहायक आयुक्त के फैसले के आधार पर, जैसा कि केसोराम के मामले में दोहराया गया है, यह कहा गया है कि विवादित कर सीधे तौर पर भूमि (उदाहरण के लिए भूमि संपत्ति कर/नगर निगम संपत्ति कर) पर नहीं लगाई गई है, और यह भूमि से निश्चित संबंध नहीं रखता है यानी–, इसका भूमि से कोई संबंध नहीं है– इसलिए, किसी भी सीमा से, विवादित कर को सूची II की प्रविष्टि 49 में नहीं खोजा जा सकता है।

31) यह तर्क दिया गया है कि सूची II की प्रविष्टि 48 भी वर्तमान मामले के संदर्भ में पूरी तरह से अप्रासंगिक है और बिल्कुल भी शक्ति का स्रोत नहीं हो सकती है क्योंकि उक्त प्रविष्टि कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क से संबंधित हैं।

32) सूची II की प्रविष्टि 45 के संबंध में बहस करते हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने **इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड**[16] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आधार दर्शित किया और प्रस्तुत किया कि 'भूमि राजस्व' शब्द को संविधान पीठ द्वारा उक्त निर्णय के पैरा 20 और 21 में न्यायशास्त्रीय रूप से समझाया गया है। जो निम्नानुसार हैं:

''20. ....प्रविष्टि 45 भूमि राजस्व से संबंधित है, जो एक प्रसिद्ध अवधारणा है और भारत में संविधान लागू होने से पहले अस्तित्व में है। **एनआर रेड्डी,**[21] जगनमोहन रेड्डी, जे. तब विद्वान न्यायाधीश के रूप में ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा था कि मद्रास के समग्र राज्य में कोई भूमि राजस्व अधिनियम मौजूद नहीं था और न ही विधायी अधिनियम द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली

कभी स्थापित की गई थी। रिपोर्ट के पृष्ठ 306 पर विद्वान न्यायाधीश ने देखा कि पहले के दिनों में, संप्रभु अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए सभी खेती योग्य भूमि की उपज का एक हिस्सा दावा करते थे, जिसे 'राजभागम' या विभिन्न अन्य नामों से जाना जाता था, और समय–समय पर उनकी इच्छा और खुशी के अनुसार उनका हिस्सा या उसका परिवर्तित धन मूल्य तय किया जाता है...''

21. हालाँकि, यह स्पष्ट है कि सदियों की अवधि में, भारत में भू–राजस्व ने भूमि की उपज में हिस्सेदारी का एक सांकेतिक अर्थ प्राप्त कर लिया है, जिसे प्राप्त करने का हकदार राजा या सरकार है।''

33) इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के फैसले के आधार पर, विद्वान वरिष्ठ वकील यह प्रस्तुत किया कि भू–राजस्व को कर सरलता के बराबर नहीं किया जा सकता है और इसे भूमि से उपज पर संप्रभु के हिस्से के साथ सहसंबंधित किया जाना चाहिए जैसा कि परंपरागत रूप से समझा जाता है और इसमें भूमि के उपयोग के लिए रॉयल्टी की प्रकृति है जिसके परिणामस्वरूप भूमि से प्राप्त लाभ की खपत होती है।उन्होने आगे कहा कि वर्तमान मामले में पानी की बिल्कुल भी खपत नहीं है। पानी का उपयोग केवल जनरेटरों में डालने के उद्देश्य से किया जाता है, जो बिजली का उत्पादन करते हैं और उसके बाद इसे किसी भी तरीके से उपयोग किए बिना नीचे की ओर प्रवाहित कर दिया जाता है। यह जोरदार तर्क दिया गया है कि पानी की खपत के अभाव में, पानी के उपयोग पर कोई कर या उपकर नहीं लगाया जा सकता है।

34) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दिनेश द्विवेदी ने अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया कि 'भूमि' शब्द बहुत व्यापक है और इसमें सतह के ऊपर या नीचे की सभी चीजें शामिल हैं:

(i) रजा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड रामपुर बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड, रामपुर, ए0आई0आर0 1962 इलाहाबाद83

(ii) निजाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड बनाम सिटी नगर पालिका, एआईआर 1965 एपी 91

(iii) आरएस रेखचंद मोहोटा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1997) 6 एससीसी12

(iv) इच्छापुर औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड बनाम सक्षम प्राधिकारी, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और अन्य, (1997) 2 एससीसी 42

(v) इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, (1990) 1 एससीसी 12

(vi) बिहार राज्य और अन्य बनाम भारतीय एल्युमीनियम कंपनी और अन्य, (1997) 8 एससीसी 360

35) जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 17 में पाई जाने वाली विधायिका की क्षमता के संबंध में है, विधायी क्षमता के किसी भी कानून का निर्णय केवल दो आधारों पर किया जाना है और अन्यथा किसी पर नहीं ।पहला आधार यह है कि संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत उस कानून को बनाना राज्य की विधायी क्षमता में होना चाहिए। दूसरा आधार यह है कि यह केवल विधायी सक्षमता या मौलिक अधिकार या संविधान के किसी अन्य स्पष्ट प्रावधान का उल्लंघन होना चाहिए। तीसरा आधार संविधान द्वारा अनुच्छेद 288 और 304ए और 192 के तहत व्यक्त की गई सीमा है। अनुच्छेद 245 भारत का संविधान संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा के बारे में बताता है। इसमें कहा गया है कि जब तक अनुचितता न हो विधायिका की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। **आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मैकडॉवेल एंड कंपनी और अन्य**[12] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि संसद या उस मामले के लिए, राज्य विधानमंडल की शक्ति दो तरह से प्रतिबंधित है। संसद या विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को अदालतें केवल दो आधारों पर रद्द कर सकती हैं, अर्थात (1) विधायी क्षमता की कमी और (2) संविधान के भाग III में गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन। कोई तीसरा आधार नहीं है.

36) यह आधार कि विवादित कर बिजली उत्पादन पर लगाया गया है बिल्कुल गलत है – यहां कर पानी खींचने की गतिविधि पर लगाया जा रहा है और कर की वास्तविक प्रकृति यह है कि यह पानी खींचने पर है या इसके उपयोग पर''। इसका मूल्यांकन उपयोग किए गए पानी की मात्रा पर किया जाता है न कि उत्पादित बिजली की इकाइयों पर ।जहां तक प्रविष्टियां 54 और 56 का संबंध है, दोनों प्रविष्टियां सामान्य नियामक प्रविष्टियां हैं जो कर का समर्थन नहीं करती हैं ।वे जल के उपयोग को नियंत्रित करने की राज्य की शक्ति,को प्रतिबंधित भी नहीं कर सकते हैं जो सूची II के अंतर्गत आती है, अर्थात–, राज्य सूची– ये दोनों प्रविष्टियाँ गैर–ताजिका प्रविष्टियाँ होने के कारण संरक्षण से संबंधित नहीं हैं– जहाँ तक प्रविष्टि 97 का संबंध है, विवादित नियम कानून सीधे तौर पर संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 17, 18, 45, 49, 50 में खोजा जा सकता है और प्रविष्टि 97 की यहां कोई भूमिका नहीं ळें इसी तरह, सूची III की प्रविष्टि 38, एक गैर–तायिंग प्रविष्टि है या एक सामान्य नियामक प्रविष्टि है। , या तो कर लगाने के लिए या अपने स्रोत से पानी के उपयोग पर राज्य की शक्ति को सीमित करने के लिए शायद ही प्रासंगिक है'– इसके तहत कोई कर नहीं लगाया जा सकता ह। इस मामले में पानी पर कर लगाने की कर शक्ति का अनुमान प्रविष्टियों

17, 18, 45, 49 और 50 से लगाया जा सकता है। यदि इन्हें सामूहिक रूप से पढ़ा जाए तो बिजली पैदा करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा पानी का उपयोग करने के लिए राज्यों के पास पर्याप्त शक्ति है।इस प्रकार, उत्तराखंड राज्य के पास शुल्क लगाने की विधायी क्षमता है।

37) याचिकाकर्ता एएचपीसीएल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय का ध्यान अधिनियम ''विद्युत उत्पादन पर वाटर टैक्स'' के शीर्षक की ओर आकर्षित किया। उनका कहना था कि उक्त अधिनियम बिजली का उत्पादन के लिए पानी के उपयोग किए जाने पर उस पर टैक्स लगाने का प्रयास करता है।, न कि जब पानी किसी अन्य उद्देश्य के लिए खींचा जाता है ।दूसरे शब्दों में, विवादित अधिनियम के तहत कर तभी लगाया जा सकता है, जब पानी खींचने के परिणामस्वरूप बिजली का उत्पादन होता ळें यह तर्क दिया जाता है कि विवादित अधिनियम बिजली के उत्पादन पर कर लगाता है। बिजली जिसे विवादित अधिनियम के तहत केवल पानी के रूप में तैयार किया गया ळें इसलिए, इसके उद्देश्यों और कारणों के बयान के साथ विवादित अधिनियम के एक मात्र अवलोकन से, यह स्पष्ट हो जाता है कि विवादित अधिनियम, सार और पदार्थ में ''बिजली के उत्पादन के लिए उपयोग किये जाने वाले पानी पर एक टैक्स है''और यह ''पानी'' पर लागू नहीं होता है। यह तर्क दिया जाता है कि बिजली के उत्पादन पर टेक्स सूची I की प्रविष्टियों 54, 56, 84 और 97 पर पड़ता है और इसलिए, राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत टैक्स लगाने में अक्षम ळें यह तर्क दिया गया है कि सूची II की प्रविष्टि 17 किसी राज्य को पानी के उपयोग पर ऐसा कोई टेक्स लगाने के लिए अधिकृत या सशक्त नहीं बनाती है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने एआईआर 1962 सभी 83 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया, **नगर परिषद कोटा**[9] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, और उक्त निर्णय के आधार पर वह प्रस्तुत करेंगे कि टेक्स का नामकरण प्रासंगिक नहीं है, लेकिन जो प्रासंगिक है वह कानून की वास्तविक प्रकृति और चरित्र है। बल्कि , वर्तमान अधिभार सीधे भूमि पर नहीं है जैसा कि संविधान पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज (2004) 10 एससीसी 201 में अपने फैसले में स्पष्ट किया था, वह आगे प्रस्तुत करेंगे कि यह भूमि पर नहीं बल्कि कथित तौर पर पानी पर है, उक्त निर्णय के अनुपात का उल्लंघन होता है। इस प्रकार, भले ही यह मान लिया जाए कि टैक्स पानी पर है, ऐसा सूची II की प्रविष्टि 49 के तहत भूमि पर टैक्स नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि ऐसी कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है जो राज्य को सामान्य प्रविष्टि के बावजूद पानी के उपयोग के लिए ''पानी'' पर कर लगाने का अधिकार देती है, राज्य ''भूमि' के कर निर्धारण के लिए अन्य प्रविष्टियों की व्यापक व्याख्या करके और ''खनिज'' और विभिन्न अन्य अधिनियमों के तहत

इन शर्तों को दी गई परिभाषाओं से निष्कर्ष निकालकर, पानी के उपयोग पर पानी को उनकी विधायी क्षमता में नहीं ला सकता हे।

38) प्रति विपरीत, प्रतिवादी राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री–दिनेश द्विवेदी,यह प्रस्तुत करेंगे कि आक्षेपित अधिनियम के तहत टैक्स की घटना 'पानी की निकासी' है और बिजली का उत्पादन एक अलग और बाद की गतिविधि है जिसका इससे कोई लेना–देना नहीं है। आक्षेपित अधिनियम के साथ क्या करें यह तर्क दिया गया है कि लेवी की प्रकृति और चरित्र, इसका सार और सार, निर्धारित करने योग्य घटना या कर की घटना को केवल कानून को समग्र रूप से पढ़कर देखा जा सकता है। धारा 2(एफ), (जी) और (आइ) को धारा 4 , 5, 8, 9, 10, 12, 14 17, 18, 19 और 25(5) के साथ पढने से स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कर बिजली उत्पादन के लिए ''पानी खींचने/उपयोगकर्ता के संबंध में है''। शब्द ''के लिए '' का उपयोग धारा 3(2), 4, 5, 10, 12, 14, 18 और 19 में वाक्यांश ''उपयोगकर्ता द्वारा खींचा गया पानी'' और ''बिजली उत्पादन'' के बीच किया गया है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लेवी अपने उपयोगकर्ता के लिए पानी खींचना की गतिविधि पर ळें ''बिजली उत्पादन के लिए'' केवल यह दर्शाता है कि पानी का केवल वही उपयोगकर्ता उपयोग किया जाना है जो बिजली उत्पादन के लिए है, लेकिन कर खींचे गए या उपयोग किए गए पानी पर है। जिस क्षण पानी खींचा जाता है कर लगाया जाता ह यह मुख्य रूप से धारा 2(एफ) के तहत किसी भी जल स्रोत से पानी खींचने के लिए उपयोगकर्ता पर लगाया जाता है कर का विषय पानी का उपयोगकर्ता है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है लेकिन टैक्स की घटना कम हो जाती है केवल पानी खींचने पर, न कि बिजली उत्पादन पर। यह तर्क दिया जाता है कि यदि बिजली उत्पादन पर कर होता तो बिजली उत्पन्न करने की इकाइयों पर कर का उचित माप होता, न कि ''पैसे प्रति घन मीटर पर खींचे गए पानी का''– इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि कर ''बिजली उत्पादन'' पर है, पूरी तरह से गलत है वह आगे प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रविष्टियों पर भरोसा किया गया है, यानी, प्रविष्टियां 54, 56, 84 और सूची I के 97 में यह दिखाना कि बिजली उत्पादन पर अधिकार सूची I की इन प्रविष्टियों पर पड़ता है और इसलिए, राज्य के पास कोई विधायी क्षमता नहीं है, पूरी तरह से निराधार है।

39) यह सच है कि लेवी की प्रकृति और चरित्र, इसका सार और सार, तारनीय घ टना या कर की घटना को केवल कानून को समग्र रूप से पढ़कर देखा जा सकता है– सार और सार का सिद्धांत निश्चित रूप से लागू किया जाएगा लेवी की प्रकृति और चरित्र का पता लगाना। न्यायालय को मामले के सार को देखना होगा

– कानून के वास्तविक चरित्र का पता लगाने के संदर्भ में कभी–कभी सार और सार के सिद्धांत को दबाया जाता है। विधानमंडल द्वारा कानून को दिया गया नाम सारहीन है संपूर्ण अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों और इसके प्रावधानों के दायरे और प्रभाव का ध्यान रखा जाना चाहिए।

40) याचिकाकर्ता मेसर्स भिलंगना हाइड्रो पावर लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री–आदित्य सिंह, प्रस्तुत करेंगे कि खनिज होने के कारण पानी अब खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम द्वारा नियंत्रित है, जो कि प्रविष्टि 54 के तहत अधिनियमित है, एक नियामक प्रविष्टि– इस प्रकार, राज्य को इस अधिनियम के तहत खनिजों पर अधिकार करने की कोई शक्ति नहीं है।

41) इस न्यायालय की राय में, चूंकि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 54 एक नियामक प्रविष्टि है और कोई अधिकारिक प्रविष्टि नहीं है, इसलिए, उक्त प्रविष्टि भूमि या खनिज पर राज्य की शक्ति को सूची II की प्रविष्टियाँ 49 और 50 के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं कर सकती है ''

42) प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करेंगे कि प्रविष्टियाँ 48 और 49 'भूमि' से संबंधित हैं और इसमें सतह के ऊपर या नीचे की हर चीज शामिल है और पानी भूमि का हिस्सा है और अभिव्यक्ति 'भूमि' का व्यापक अर्थ भूमि पर संग्रहीत या भूमि पर बहने वाले पानी को शामिल करना लगाया जाना चाहिए, **इच्छापुर इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड** [10] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि पानी खनिज की परिभाषा के अंतर्गत आता है और इसलिए, राज्य भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II प्रविष्टि 49 से पानी पर कर लगाने के लिए विधायी क्षमता प्राप्त कर सकता है।

43) इच्छापुर इंडस्ट्रीज के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ यहां दिए गए हैं:

''17. अधिनियम में संशोधन के बाद ''खनिज'' के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के अधिकार की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी कानूनी तौर पर ''पानी'' लाने और ले जाने के लिए संबंधित भूमि के माध्यम से पाइपलाइन बिछा सकते हैं, बशर्ते ''पानी'' ''एक ''खनिज'' है।

18. ''खनिज'' की परिभाषा जो हम पहले ही ऊपर उद्धृत कर चुके हैं, यह इंगित करेगी कि खान अधिनियम, 1952 में इसका दिया गया अर्थ संदर्भ या निगमन द्वारा विधान के क्लासिक सिद्धांत के आधार पर यहां भी लागू किया जाना है जो एक विधायी उपकरण है पहले के अधिनियम के प्रावधानों को बाद के अधिनियम में शब्दशः पुनरुत्पादित करने से बचने के लिए सुविधा की दृष्टि से अपनाया गया। इस प्रकार शामिल किए गए प्रावधान बाद के अधिनियम का हिस्सा और पार्सल बन गए जैसे कि उन्हें इसमें भौतिक रूप से स्थानांतरित कर दिया गया हो।

19. इस सिद्धांत पर खान अधिनियम, 1952 में निर्धारित ''खनिज'' की परिभाषा को भौतिक रूप से हटा दिया गया है और इस अधिनियम में शामिल माना जाएगा। इसलिए, हमें ''खनिज'' शब्द का सही अर्थ जानने के लिए उस अधिनियम को देखना होगा जिसे धारा 2 (जेजे) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

''2. (जे0जे0) 'खनिज' का अर्थ है वे सभी पदार्थ जो पृथ्वी से खनन, खुदाई, ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग, उत्खनन या किसी अन्य ऑपरेशन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और इसमें खनिज तेल (जिसमें प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम शामिल हैं) शामिल हैं ।''

20. परिभाषा से संकेत मिलता है कि ''खनिज'' वे पदार्थ हैं जिन्हें परिभाषा में इंगित विभिन्न तकनीकी उपकरणों, अर्थात् ''खनन, खुदाई, ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग, उत्खनन'' का उपयोग करके पृथ्वी से प्राप्त किया जा सकता है। इन शब्दों के बाद ''किसी अन्य ऑपरेशन द्वारा'' शब्द आते हैं। इन शब्दों के पिछले शब्दों, अर्थात् खनन, खुदाई, ड्रिलिंग, आदि के साथ निकटता के कारण, उन्हें उसी अर्थ में समझा जाना चाहिए और इसलिए, यदि ''खनिज'' किसी अन्य ऑपरेशन द्वारा पृथ्वी से प्राप्त किए जाते हैं ''ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए खनन, खुदाई, ड्रिलिंग आदि में शामिल उपकरण या ऑपरेशन के समान एक ऑपरेशन हो। परिभाषा की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता ''पदार्थ जो पृथ्वी से प्राप्त किए जा सकते हैं'' शब्दों का उपयोग है। जो इंगित करते हैं कि ''खनिजों'' को आवश्यक रूप से पृथ्वी में समाहितहोने या पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में स्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वे या तो पृथ्वी की सतह पर या नीचे उपलब्ध हो सकते हैं। यदि सतह पर ''खनिज'' उपलब्ध है, तो जो ऑपरेशन स्पष्ट रूप से नियोजित किया जाएगा वह ड्रेजिंग, उत्खनन या हाइड्रोलिकिंग या कोई अन्य समान ऑपरेशन होगा। इसलिए, परिभाषा बहुत व्यापक है लेकिन इसके व्यापक अर्थ के बावजूद पृथ्वी से प्राप्त होने वाला प्रत्येक पदार्थ ''खनिज'' नहीं होगा।

23. लेकिन ऐसे भूमिगत जल भी हैं जो पूरी तरह से पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित हैं और जो या तो सतह के स्तर से रिसते हैं या रिसते हैं, बिना किसी निर्धारित चौनल (रिसते पानी) के माध्यम से या एक स्थायी और नियमित लेकिन अदृश्य मार्ग में बहते हैं, या झूठ बोलते हैं। पृथ्वी के नीचे एक कमोबेश अचल शरीर में, एक भूमिगत झील के रूप में। यह पानी केवल ''ड्रिलिंग'' की प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें चौंबर्स डिक्शनरी के अनुसार ''बोरिंग'' भी शामिल है।

24. अब, यदि यह एक ऐसा पदार्थ है जिसे ड्रिलिंग की प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी से प्राप्त किया जा सकता है। यह तुरंत इस अधिनियम में निर्धारित और रखी गई ''खनिज'' की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। अन्यथा भी, एचएच रीड, एफआरएस, इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लंदन विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के प्रोफेसर एमेरिटस द्वारा प्रकाशित रटले के एलिमेंट्स ऑफ मिनरलॉजी, 26वें संस्करण में ''मिनरल'' को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः –

''खनिज एक निश्चित रासायनिक संरचना और परमाणु संरचना वाला पदार्थ है और प्रकृति की अकार्बनिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है।''

25. इस परिभाषा के आधार पर रटले कहते हैंः– ''फिर से, पानी, बर्फ और बर्फ परिभाषा के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वे एक निश्चित रासायनिक संरचना के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सजातीय अकार्बनिक पदार्थ हैं।

27. सिविल अपील क्र. 1983 का 10538, हमारे द्वारा 17.12.1996 को तय किया गया, हमने पहले ही ''परिभाषा'' की व्याख्या करने के लिए नियम का संकेत दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि परिभाषा को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें इसका उपयोग किया जाता है और जिस उद्देश्य के लिए अधिनियम बनाया गया था बनाया। हमने देखा कि जहां परिभाषा खंड के पहले शब्द ''जब तक कि संदर्भ के लिए अन्यथा आवश्यक न हो'' आता है, परिभाषा की व्याख्या उस संदर्भ के आलोक में की जानी चाहिए जिसमें इसका उपयोग किया गया है। हमने अवलोकन कियाः

''इसका तात्पर्य यह है कि एक परिभाषा, किसी कानून के किसी भी अन्य शब्द की तरह, को अधिनियम की शर्तों और योजना के साथ–साथ उस उद्देश्य के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए जिसके लिए अधिनियम विधायिका द्वारा बनाया गया था–''

28– यदि इस पृष्ठभूमि में प्रश्न का विश्लेषण किया जाए, तो यह ध्यान में आएगा कि ''खनिज'' की परिभाषा जिसे भौतिक रूप से खान अधिनियम, 1952 से

हटा दिया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइनों में रखा गया है (उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण भूमि अधिनियम में, 1962 को जानबूझकर 1977 के संशोधन अधिनियम संख्या–13 द्वारा पेश किया गया था ताकि पाइपलाइनों के माध्यम से पेट्रोलियम ले जाने के दौरान, किसी अन्य खनिज को भी इसके माध्यम से ले जाया जा सके– यदि, इसलिए, पानी को ''खनिज'' के रूप में माना जाता है अधिनियम की धारा 3 या 6 के तहत बिना किसी अधिसूचना या घोषणा के ओएनजीसी को इसे किसी अन्य पाइपलाइन के माध्यम से ले जाने की अनुमति होगी– यह व्याख्या जो ''खनिज'', की वैज्ञानिक परिभाषा के अनुरूप है, के उद्देश्य को पूरा करती है। पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962– अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील का तर्क है कि ''पानी'' को उसी अर्थ में समझा जाना चाहिए जिस अर्थ में एक आम आदमी इसे नहीं समझ सकता है, इसलिए , स्वीकार किया जाए – यह अधिनियम संसद का एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य विशेष प्रौद्योगिकी और उसमें शामिल वस्तुओं से निपटना है – इसलिए हमारा मानना है कि इस अधिनियम में ''पानी'' का उपयोग दोनों अर्थों में किया गया है, अर्थात्, कि (i) यह एक खनिज है और (ii) सबसे आम, पृथ्वी पर आसानी से और स्वतंत्र रूप से उपलब्ध पदार्थ है।''

44) यह न्यायालय प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क से पूरी तरह सहमत है प्रविष्टियाँ 48 और 49 'भूमि' से संबंधित हैं और इसमें सतह के ऊपर या नीचे सब कुछ शामिल है और पानी भूमि का हिस्सा है और पृथ्वी'भूमि' इसे व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए, जिसमें भूमि पर संग्रहीत या भूमि पर बहने वाले पानी को शामिल किया जाना चाहिए– कानून के उपरोक्त प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि चूंकि ''पानी'' खनिज की परिभाषा के अंतर्गत आता है, इसलिए, राज्य ै भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 49 से पानी पर कर लगाने की विधायी क्षमता प्राप्त कर सकता है।

45) याचिकाकर्ता टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री मोहन परासरन, ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला।

46) अधिनियम की धारा 2(i), ''पानी कर'' को इस अधिनियम के तहत बिजली उत्पादन के लिए खींचे पानी के लिए लगाई या चार्ज की कर की दर के रूप में परिभाषित करती है''

47) धारा 2(एफ) 'उपयोगकर्ता' 'शब्द को किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, स्थानीय निकाय, सरकारी विभाग, कंपनी, निगम, समाज आदि के रूप में परिभाषित करता है– बिजली उत्पादन के लि, किसी भी स्रोत से पानी खींचने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिनियम के अध्याय II के तहत अधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी।–

48) धारा 10 के बारे में बताया गया है – बिजली उत्पादन के लिए पानी (गैर–उपभोग्य उपयोग) का उपयोग करने का हकदार उपयोगकर्ता को अधिनियम के तहत उपयोगकर्ता और आयोग के बीच एक समझौते के निष्पादन के बाद एक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

49) अधिनियम की धारा 12(1) चार्जिंग धारा है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

''(1) पंजीकृत उपयोगकर्ता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिजली उत्पादन के लिए निकाले गए पानी के लिए जल कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

50) अधिनियम की धारा 17(i) कहती है – उपयोगकर्ता अधिनियम के तहत ऐसी दरों पर जल कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो सरकार अधिसूचना द्वारा तय कर सकती है।

51) अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पराशरन का कहना था कि अधिनियम के तहत लेवी बिजली उत्पादन के उद्देश्य से पानी के गैर–उपभोग्य उपयोग पर है और इन महत्वपूर्ण तथ्यों को सूची II की प्रविष्टि 45 और 49 के तहत राज्य की विधायी क्षमता तय करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, सूची II की प्रविष्टि 45 भूमि राजस्व से संबंधित है और प्रविष्टि 49 भूमि और भवनों पर कर से संबंधित है और दोनों का उपयोग राज्य द्वारा पानी के गैर–उपभोग्य उपयोग पर कर लगाने की वैधता प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है।

52) अंतरराज्यीय नदियों के संबंध में श्री परासरन द्वारा दिया गया अगला तर्क यह है कि याचिकाकर्ता टीएचडीसी 2006 और 2011 से टेहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक के संबंध में गंगा और भागीरथी नदियों से पानी ले रहा है। परियोजना, क्रमशः बिजली उत्पादन और एक साथ अंतर–राजीय बिक्री और खपत के लिए। कहा गया है कि गंगा नदी एक अंतरराजीय नदी है और भागीरथी नदी भी इसकी सहायक नदी है, विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II में शामिल किसी भी प्रविष्टि में किसी भी मामले पर विचार या उल्लेख नहीं किया गया है, जो पानी के उपयोग या

खपत, उपभोग्य या अन्यथा पर कर लगाने से संबंधित है। सूची II में निहित एकमात्र प्रविष्टि, प्रविष्टि 17 है जो राज्य विधायिका को जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरों के जल निकासी और जल भंडारण के साथ–साथ जल शक्ति के संबंध में कानून बनाने और बनाने पर विचार करती है, लेकिन यह पानी पर कर लागू करने के लिए किसी प्रावधान पर विचार नहीं करती है। उन्होंने आगे कहा कि यद्य पि विधायी शक्ति में सभी आकस्मिक और सहायक शक्ति शामिल हैं, कर लगाने की शक्ति हमारे संविधान के तहत ऐसी शक्ति नहीं है। प्रत्येक संघ और राज्य सूची,जो सूची पर हैं, पहले कराधान शक्तियों से अलग सामान्य विधायी शक्तियां प्रदान करने वाली प्रविष्टियों की गणना करके शुरू होती हैं। आइटम 1 से 81 संसद की विशेष सामान्य विधायी शक्तियों से संबंधित हैं जबकि 82 से 92 उन करों की गणना करते हैं जो संसद लगा सकती है। राज्य सूची (सूची II) में कर लगाने की शक्ति से अलग सामान्य विधायिका के वर्गीकरण और प्रदत्त समान पैटर्न को अपनाया गया है। इस सूची की प्रविष्टियाँ 1 से 44 सामान्य विधायी शक्ति से संबंधित हैं जबकि आइटम 45 से 63 विशिष्ट करों से संबंधित हैं जो विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों द्वारा लगाए जा सकते हैं। इसलिए, कर लगाने की शक्ति एक विशिष्ट कर प्रविष्टि से प्राप्त की जानी चाहिए, ऐसा न करने पर विधायी क्षमता है सूची I के आइटम 1 से 81 संसद की विशेष सामान्य विधायी शक्तियों से संबंधित हैं जबकि 82 से 92 उन करों की गणना करते हैं जो संसद लगा सकती है। राज्य सूची (सूची II) में कर लगाने की शक्ति से अलग सामान्य विधायिका के वर्गीकरण और प्रदत्त समान पैटर्न को अपनाया गया है। इस सूची की प्रविष्टियाँ 1 से 44 सामान्य विधायी शक्ति से संबंधित हैं जबकि आइटम 45 से 63 विशिष्ट करों से संबंधित हैं जो विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों द्वारा लगाए जा सकते हैं। इसलिए, कर लगाने की शक्ति एक विशिष्ट कर प्रविष्टि से प्राप्त की जानी चाहिए, ऐसा न करने पर विधायी क्षमता है सूची I के आइटम 1 से 81 संसद की विशेष सामान्य विधायी शक्तियों से संबंधित हैं जबकि 82 से 92 उन करों की गणना करते हैं जो संसद लगा सकती है। राज्य सूची (सूची II) में कर लगाने की शक्ति से अलग सामान्य विधायिका के वर्गीकरण और प्रदत्त समान पैटर्न को अपनाया गया है। इस सूची की प्रविष्टियाँ 1 से 44 सामान्य विधायी शक्ति से संबंधित हैं जबकि आइटम 45 से 63 विशिष्ट करों से संबंधित हैं जो विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों द्वारा लगाए जा सकते हैं। इसलिए, कर लगाने की शक्ति एक विशिष्ट कर प्रविष्टि से प्राप्त की जानी चाहिए, ऐसा न करने पर विधायी क्षमता है राज्य सूची (सूची II) में कर लगाने की शक्ति से अलग सामान्य विधायिका के वर्गीकरण और प्रदत्त समान पैटर्न को अपनाया गया है। इस सूची की प्रविष्टियाँ 1 से 44 सामान्य विधायी शक्ति से संबंधित हैं जबकि आइटम 45 से 63 विशिष्ट करों से संबंधित हैं जो विशेष रूप से

राज्य विधानमंडलों द्वारा लगाए जा सकते हैं। इसलिए, कर लगाने की शक्ति एक विशिष्ट कर प्रविष्टि से प्राप्त की जानी चाहिए, ऐसा न करने पर विधायी क्षमता है राज्य सूची (सूची II) में कर लगाने की शक्ति से अलग सामान्य विधायिका के वर्गीकरण और प्रदत्त समान पैटर्न को अपनाया गया है। इस सूची की प्रविष्टियाँ 1 से 44 सामान्य विधायी शक्ति से संबंधित हैं जबकि आइटम 45 से 63 विशिष्ट करों से संबंधित हैं जो विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों द्वारा लगाए जा सकते हैं। इसलिए, कर लगाने की शक्ति एक विशिष्ट कर प्रविष्टि से प्राप्त की जानी चाहिए, ऐसा न करने पर विधायी क्षमता है और यह सूची I की प्रविष्टि 97 के आधार पर केंद्र सरकार की शक्ति होगी। दूसरे शब्दों में, कर लगाने की राज्य की शक्ति को किसी भी सामान्य प्रविष्टि (सूची II की प्रविष्टि 1 से प्रविष्टि 44 तक) में नहीं खोजा जा सकता है और किया जा सकता है केवल तभी लगाया जाता है जब यह किसी कर संबंधी प्रविष्टियों (सूची II की प्रविष्टि 45 से 63) तक पता लगाने योग्य हो। इसलिए, सूची II में किसी विशिष्ट कर प्रविष्टि के अभाव में, राज्य के पास अधिनियम के माध्यम से कर लगाने की कोई शक्ति होने का कोई सवाल ही नहीं है।

53) उत्तर में, प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 14 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें इसे निम्नानुसार माना गया हैः

''68. श्री वेणुगोपाल ने इस संबंध में आग्रह किया है कि यह संघ सूची की प्रविष्टि 97 है जो एक अंतरराजीय नदी के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के विषय से संबंधित है। के जल का उपयोग, वितरण और नियंत्रण ऐसी नदियाँ अपने आप में कोई ऐसा विषय नहीं है जो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। उनके अनुसार, यह प्रविष्टि 56 में शामिल विषय नहीं है, जो केवल अंतर–राज्य नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास की बात करता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण नदियों और नदी घाटियों, न कि किसी विशेष स्थान पर पानी। (जोर दिया गया) इसके अलावा, उनके अनुसार, विनियमन और विकास का विभिन्न तटवर्ती राज्यों के बीच अंतर–राज्य नदी के पानी के उपयोग, वितरण या आवंटन से कोई लेना–देना नहीं है। इसलिए, उस विषय को उक्त अवशिष्ट प्रविष्टि 97 द्वारा कवर किया गया माना जाना चाहिए।

69. विद्वान वकील के संबंध में, यह संभव नहीं है प्रविष्टि 97 की इस व्याख्या को स्वीकार करें। ऐसा सबसे पहले इसलिए है क्योंकि, हमारे अनुसार, अभिव्यक्ति 'विनियमन और विकास' प्रविष्टि 56 में अंतरराज्यीय नदियाँ और नदी घ

ाटियाँ शामिल होंगी अंतरराज्यीय जल का उपयोग, वितरण और आवंटन विभिन्न तटवर्ती राज्यों के बीच नदियाँ और नदी घाटियाँ। अन्यथा संविधान सभा का इरादा प्रावधान करने का था संघ अपने अधीन विनियमन और विकास का कार्य संभालेगा नियंत्रण का कोई मतलब नहीं है और यह किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। आगे क्या है, नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 जो स्वीकार्य रूप से प्रवेश के तहत अधिनियमित है 56 अंतरराज्यीय नदियों के नियमन एवं विकास हेतु नदी घ ाटियाँ उपयोग, वितरण और अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल का आवंटनके क्षेत्र को कवर करती हैं। इससे पता चलता है कि अभिव्यक्ति ''विनियमन और विकास'' प्रविष्टि 56 में अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विधायी रूप से दर्शाया गया है जिसमे अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों का जल तटवर्ती राज्य उपयोग, वितरण या आवंटन भी शामिल माना गया है। हमारा यह भी विचार है कि इसे प्रविष्टि 17 में अंतरराज्यीय नदी और नदी के जल में का संचालन नियंत्रित किया जाए एक राज्य की सीमाओं के भीतर घाटियाँ और इनकार करने के लिए राज्य विधायिका को हस्तक्षेप करने या प्रभावित करने की क्षमता जल के उपयोग, वितरण और आवंटन का विस्तार करना। ऐसी नदी या नदी घाटी जो अपने क्षेत्र से परे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एक के रूप में अवशिष्ट प्रविष्टि 97 पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है प्रविष्टि 56 के अंतर्गत उचित घोषणा पर्याप्त होगी। हमारे जैसे संघीय संविधान का आधार ऐसा आदेश देता ळे कि व्याख्या और इसके विपरीत कोई व्याख्या सहन नहीं होगी जो अपने आप में संवैधानिक योजना और संविधान को नष्ट कर देगा। हालाँकि, इसलिए, तकनीकी रूप से इसे अंतरराज्यीय नदी और नदी का ''विनियमन और विकास'' से अलग करना संभव ळे। घाटी अपने पानी के ''उपयोग, वितरण और आवंटन'' से है ऐसा करना न तो उचित है और न ही आवश्यक है।

70. प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का उपरोक्त विश्लेषण अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों और उनके जल से निपटना यह दर्शाता है कि अधिनियम, अर्थात, अंतर–राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया जा सकता है और केवल संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित किया गया है। इसे प्रविष्टि 56 के तहत अधिनियमित नहीं किया गया है क्योंकि यह विवादों का निर्णय संबंधित है और बिना किसी अन्य पहलू के समग्र रूप से अंतरराज्यीय नदी या उसमें मौजूद जल से नही।''

54) यह तर्क दिया जाता है कि कावेरी जल मामला अनुच्छेद 262 और अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम संबंधित है जिसका न तो सूची I की प्रविष्टि

56 और न ही प्रविष्टि 97पता चल पाता है। अधिनियम में उस मामले में प्रश्न अनुच्छेद 262 से संबंधित था न की प्रविष्टि 56 के अंतर्गत नहीं। आगे यह तर्क दिया गया है प्रविष्टि 56 ओर प्रविष्टि 17 के दायरे पर विचार करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि राज्य इसके उपयोग अपने क्षेत्र के भीतर अंतरराज्यीय नदी का पानी, पर कानून बनाने के लिए सक्षम है बशर्ते कि अन्यथा संसद का सूची I की प्रविष्टि 56 के अंतर्गतकोई कानून न हो।

55) प्रतिवादी राज्य के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील आगे यह प्रस्तुत करेगा कि भागीरथी नदी एक राज्य नदी है, जिस पर याचिकाकर्ता टीएचडीसी की विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं यहएक अंतरराज्यीय नदी नहीं है लेकिन उत्तराखंड राज्य से निकलती और समाप्त होती है और इसलिए, सूची II की प्रविष्टि 17 के तहत राज्य की शक्ति के आधार पर कानून रहा है उनके अनुसार, जब से भागीरथी एक अंतर्राज्यीय नदी नहीं है उत्तराखंड के पास 'उपयोग' बिजली उत्पादन के लिए पानी का उपयोग' पर कर लगाने की शक्ति है और तब से टैक्स उत्पादित बिजली पर नहीं है, राज्य की विधायी क्षमता के भीतर वही पड़ता है। यह तर्क दिया कि चूँकि राज्य की सूची II की प्रविष्टि 17 में शक्ति सूची I की प्रविष्टि 56 के तहत संघ केवल की शक्ति के अधीन है और चूंकि भागीरथी नदी पर कोई कानून नहीं सूची I की प्रविष्टि 56 के तहत संघ द्वारा तैयार किया गया है अतः उत्तराखंड राज्य कर लगाने में सक्षम है।

56) मौजूदा मामले में ऐसा कोई अधिनियम नहीं है जो संसद की राज्य जल के उपयोग / निकाले गए जल पर कर लगाने की शक्ति को प्रतिबंधित कर सकती है। सबसे पहले अधिनियम द्वारा लगाए गए कर की प्रकृति और गतिविधि जिस पर घटना गिरती है वह होनी चाहिए कर लगाने के लिए राज्य विधायिका की क्षमता को और अधिक निर्धारित करने के लिए निर्धारित किया गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कर कानून एक आर्थिक कानून है। लगाया जाने वाला कर पूर्णतः राज्य को कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए उपकरण एकत्रित करना और के कल्याण के प्रति अपने लक्ष्यों और दायित्वों को पूरा करने का राजस्व है । संविधान की संघीय संरचना की राज्य और संघ की कर लगाने की शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण देता है। दोनों अपने आप के संबंधित क्षेत्र में संप्रभु हैं कमजोर करने का कोई भी प्रयास किया गया कर लगाने या उसके अधीन करने की राज्य की शक्तियाँ केवल केंद्र की सहमति या अनुमोदन ही नहीं होगा हमारे संविधान के संघ ीय ढांचे के खिलाफ लेकिन राज्य को केंद्र पर उपांग बनाएगा। केंद्र और राज्य की कर लगाने की शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण है और, इस प्रकार, की कोई व्याख्या से संभावना ओवरलैपिंग पूरी तरह से अनुपस्थित है जो किसी भी प्रकार की, मंजूरी या

सहमति को मान्यता केंद्र के केंद्र और राज्य के बीच कर लगाने की शक्तियों का पृथक्करण संवैधानिक उद्देश्य को विफल कर देगा। केंद्र और राज्यों के उपांग बनाते हैं। यह ध्यान में रखना होगा कि कर एक है सामान्य नियामक प्रविष्टियों से मामले को अलग करें। विनियामक प्रविष्टियाँ कराधान के लिए नहीं हैं। शब्द 'कर' व्यापक है और इसमें सभी प्रकार के शुल्क सहित कर शामिल हैं इसमें सभी प्रकार की राज्य द्वारा निकासी की अनिवार्यता शामिल है इसलिए, इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुतीकरण पूरी तरह गलत धारणा है.

57) केसोराम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय इस प्रकार रखा गया हैः

31. संविधान का अनुच्छेद 245 विधायी शक्ति का फव्वारा स्रोत है यह इस संविधान के प्रावधानों के अधीन प्रदान करता है कि संसद भारत का क्षेत्र में संपूर्ण या किसी भाग के लिए कानून बना सकती है और एक राज्य का विधानमंडल पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। संसद और किसी भी राज्य के बीच विधायी क्षेत्र विधानमंडल को संविधान के अनुच्छेद 246 द्वारा विभाजित किया गया है। संसद के पास इसमें उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में सातवीं अनुसूची में सूची I कानून बनाने की विशेष शक्ति है जिसे 'संघ सूची' कहा जाता है। संसद की उक्त शक्ति के अधीन, किसी भी राज्य की विधानमंडल के पास सूची III में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में,कानून बनाने की शक्ति है जिसे 'समवर्ती सूची' कहा जाता है। उपरोक्त के अधीन दो, किसी भी राज्य के विधानमंडल के पास कसी भी मामले के संबंध में कानून बनाना सूची II में विशेष शक्ति होती है, जिसे 'राज्य सूची' कहा जाता है। अनुच्छेद 248 के तहत संसद की विशेष शक्ति ऐसे किसी भी मामले पर कानून बनाना लागू होता है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची शामिल नहीं है. समवर्ती सूची या राज्य सूची संसद में निहित कानून बनाने की शक्ति कर लगाने वाले किसी भी कानून का उल्लेख नहीं किया गया है। इसे संसद में अवशिष्ट शक्ति निहित कहा जाता है। तीन विद्वानों की एक बेंच द्वाराइस न्यायालय के न्यायाधीशों होचस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड [18] में निर्णय की उपलब्ध समीक्षा पर संक्षेप और पुनर्कथन किया गया – वे हैं–

(1) तीन सूचियों में विभिन्न प्रविष्टियाँ विधान की कानून की 'शक्तियाँ' नहीं बल्कि 'क्षेत्र' हैं । संविधान अनुच्छेद 246 के तहत संघ की कर लगाने की शक्ति और राज्यों का कर लगाने की शक्ति का पृथक्करण पर पूर्ण प्रभाव डालता है इसमें कहीं भी ओवरलैपिंग नही संघ और राज्यों को कराधान को संविधान स्वतंत्र स्रोत देता है ।

(2) कानून के क्षेत्रों के बावजूद सीमांकन किया गया है, का प्रश्न केवल उन मामलों में उत्पन्न होता है जहां संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया एक कानून के बीच विरोधाभास हो सकता है जब दोनों विधान इनमें से किसी एक के संबंध में समान क्षेत्र पर कब्जा करें समवर्ती सूची में शामिल मामले और सीधा टकराव देखने को मिलता है. सूची II के बीच ओवरलैपिंग पाए जाने के कारण एक ओर सूची I और दूसरी ओर सूची III यदि कोई प्रतिकूलता है राज्य का कानून अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा और संघ कानून को रास्ता देना होगा।

(3) कराधान को विधायी क्षमता के प्रयोजनों के लिए एक अलग मामला माना जाता है। कानून और कराधान के सामान्य विषयों के बीच अंतर किया गया है। कानून के सामान्य विषयों को प्रविष्टियों के एक समूह में और कराधान की शक्ति को एक अलग समूह में निपटाया जाता है। कर लगाने की शक्ति को सहायक शक्ति के रूप में सामान्य विधायी प्रविष्टि से नहीं निकाला जा सकता है।

(4) सूची में प्रविष्टियाँ केवल कानून के विषय या क्षेत्र होने के कारण, उन्हें व्यापक और उदार भावना से प्रेरित एक उदार निर्माण प्राप्त होना चाहिए, न कि संकीर्ण पांडित्यपूर्ण अर्थ में। प्रविष्टियों का मसौदा तैयार करने में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों की यथासंभव व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वी. रामास्वामी, जे. को उद्धृत करने के लिए, सूचियों में विषयों का आवंटन वैज्ञानिक या तार्किक परिभाषा के माध्यम से नहीं बल्कि व्यापक श्रेणियों की एक सरल गणना के माध्यम से होता है। प्रविष्टि में विशेष रूप से उल्लिखित मुख्य मामले के बारे में कानून बनाने की शक्ति में इसके विस्तार में प्रासंगिक और सहायक मामलों से संबंधित कानून भी शामिल होंगे।

(5) जहां किसी राज्य के विधानमंडल की विधायी क्षमता पर इस आधार पर सवाल उठाया जाता है कि यह कानून बनाने के लिए संसद की विधायी क्षमता का अतिक्रमण करता है, वहां सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि क्या कानून सूचियों में किसी भी प्रविष्टि से संबंधित है। मैं या तृतीय. यदि ऐसा होता है, तो कोई और प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है और संसद की विधायी क्षमता को बरकरार रखा जाना चाहिए। जहां तीन सूचियां बड़ी संख्या में प्रविष्टियों वाली हों, वहां उनमें कुछ ओवरलैपिंग होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में यह निर्धारित करने के लिए कि कानून का दिया गया भाग किस प्रविष्टि से संबंधित है, मज्जा और पदार्थ के सिद्धांत को लागू करना होगा। एक बार जब यह निर्धारित हो जाता है, तो अन्य विधायिका के लिए आरक्षित क्षेत्र पर किसी भी आकस्मिक खाई का कोई परिणाम

नहीं होता है। न्यायालय को मामले के सार को देखना होगा। मज्जा और पदार्थ का सिद्धांत कभी–कभी कानून के वास्तविक चरित्र का पता लगाने के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। विधानमंडल द्वारा विधान को दिया गया नाम महत्वहीन है। संपूर्ण अधिनियम, इसके मुख्य उद्देश्यों और इसके प्रावधानों के दायरे और प्रभाव का ध्यान रखा जाना चाहिए। आकस्मिक और सतही अतिक्रमणों की उपेक्षा की जानी चाहिए।

(6) कब्जे वाले क्षेत्र का सिद्धांत तभी लागू होता है जब संघ और राज्य सूची के बीच दोनों के लिए सामान्य क्षेत्र में टकराव होता है। वहां सार और सार के सिद्धांत को लागू किया जाना है और यदि विवादित कानून काफी हद तक उस विधानमंडल को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत आता है जिसने इसे अधिनियमित किया है, तो किसी अन्य विधानमंडल को सौंपे गए क्षेत्र में आकस्मिक अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। तीन सूचियों को पढ़ते समय, सूची I को सूची III और II पर प्राथमिकता दी जाती है, और सूची III को सूची II पर प्राथमिकता दी जाती है। हालाँकि, फिर भी, संघ सूची की प्रबलता राज्य विधानमंडल को सूची II के किसी भी मामले से निपटने से नहीं रोकेगी, हालांकि यह संयोगवश सूची I में किसी भी आइटम को प्रभावित कर सकता है।

58) इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संसद और किसी भी राज्य के विधानमंडल के बीच विधायी क्षेत्र को संविधान के **अनुच्छेद 246** द्वारा विभाजित किया गया है। संसद के पास सातवीं अनुसूची की सूची I, जिसे 'संघ सूची' कहा जाता है, में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। संसद की उक्त शक्ति के अधीन, किसी भी राज्य के विधानमंडल को सूची III, जिसे 'समवर्ती सूची' कहा जाता है, में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। उपर्युक्त दोनों के अधीन, किसी भी राज्य के विधानमंडल के पास सूची II, जिसे 'राज्य सूची' कहा जाता है, में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। **अनुच्छेद 248** के तहत कानून बनाने की संसद की विशेष शक्ति समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी मामले तक फैली हुई है। समवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लिखित नहीं किए गए कर को लागू करने वाला कोई भी कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। इसे ही संसद में निहित अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। तीन सूचियों में विभिन्न प्रविष्टियाँ कानून की 'शक्तियाँ' नहीं बल्कि कानून के 'क्षेत्र' हैं। संविधान का अनुच्छेद 246 के तहत संघ और राज्यों की कर लगाने की शक्ति को पूर्ण रूप से

अलग करता ळें यहां कोई ओवर लेपिंग नही है और संविधान संघ और राज्यों को कराधान के स्वतन्त्र स्रोत देता है। इन रिट याचिकाओं कै बैच, में संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाये गये के बीच विरोधाभास का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा केवल उन्हीं मामलों में उत्पन्न हो सकता है जब दोनों विधानों के संबंध में समवर्ती में समान क्षेत्र गिनाए गए है मामलों में से एक तरफ सूची II और दूसरी तरफ सूची I और सूची III अन्य, में सीधा टकराव देखने को मिलता है तो अगर वहां एक सूची के बीच ओवरलैपिंग के कारण प्रतिकूलता पाई गई है तो राज्य का कानून अधिकारातीत होगा और उसे संघ के कानून को रास्ता देना होगा। ऐसा कुछ भी नहींपाया गया है जिससे पता चलता है कि संघ व राज्य की कराधान की शक्ति के साथ–साथ ओवरलैपिंग है।

59) याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री डी.एस. पाटनी उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य वचनबंधन है कि वे कोई शुल्क नहीं लगाने पर सहमत हुए हैं शुल्क या कर संबद्ध पर आश्वासन दिया है। जिला पौडी में श्रीनगर जल विद्युत परियोजना गढ़वाल के कार्यान्वयन के लिए यूपी सरकार , उत्तराखंड सरकार तथा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड (पूर्व में डंकन्स नॉर्थ हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड) के बीच पुनर्निर्धारित कार्यान्वयन समझौता (आरआईए) दिनांक 8 फरवरी 2006, के खंड 13 और 18.4 कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया है।

60) आरआईए का खंड 13 जल उपयोग अधिकार' के संबंध में हैं। खण्ड 13.1 इस प्रकार है:

''13.1 जीओयू एतद्द्वारा कंपनी को परियोजना के लिए अलकनंदा नदी के पानी का उपयोग करने और साइट पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने और ऐसे उचित उद्देश्यों के लिए सीधे संबंधित और आवश्यक के लिए अवधि के दौरान किसी भी और सभी शुल्क से मुक्त अधिकार प्रदान करता है। इस आरआईए की शर्तों के अनुसार और पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के अनुपालन के अधीन परियोजना के लिए बिजली का उत्पादन। ऐसा अधिकार पहले कंपनी को तत्कालीन हस्ताक्षरित जल उपयोग समझौते (डब्लू0यू0ए0) के तहत उपलब्ध था, जो अब प्रतिस्थापित हो गया है इस आर0आइ0ए0 के प्रावधानों द्वारा। जी0ओ0यू0 इस आर0आई0ए0 की अवधि के दौरान इस परियोजना द्वारा उत्पन्न बिजली पर किसी भी प्रकार का कोई कर, शुल्क, लेवी या शुल्क नहीं लगाएगा।

61) आरआईए का खंड 18, 'मस्ट–रन प्रोजेक्ट' के संबंध में है। खण्ड 18.4 इस प्रकार है:

''18.4 जल उपयोग शुल्क का भुगतान – पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि कंपनी पर पानी के उपयोग के लिए कोई भुगतान दायित्व नहीं होगा। जी0ओ0यू0 आर0आई0ए0 के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय इस आर0आई0ए0 के तहत पानी के उपयोग के लिए शुल्क नहीं लेगा।''

62) यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपी0पी0सी0एल0) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री यू0के0 उनियाल ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क का समर्थन किया है। इसके अलावा, श्री उनियाल का कहना है कि आर0आई0ए0 के समय सरकार के बीच समझौता हुआ था। उत्तराखंड सरकार, यूपी, यूपी0पी0सी0एल0 और याचिकाकर्ता ए0एच0पी0सी0एल0 की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सरकार। उत्तराखंड सरकार इस आर0आई0ए0 की अवधि के दौरान इस परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली पर किसी भी प्रकार का कोई कर, शुल्क, लेवी या शुल्क नहीं लगाएगी। आर0आई0ए0 के खंड 18.4 में एक विशिष्ट शर्त भी रखी गई है कि कंपनी को कोई भुगतान नहीं करना होगा पानी और सरकार के उपयोग के लिए दायित्व। उत्तराखंड सरकार आर0आई0ए0 के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय इस आर0आई0ए0 के तहत पानी के उपयोग के लिए शुल्क नहीं लेगी। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे यह प्रस्तुत करेंगे कि पानी के उपयोग के लिए कर न लगाने की छूट देने का उद्देश्य याचिकाकर्ता को एक प्रकार की रियायत देना था ताकि वह उत्तराखंड राज्य में बिजली उत्पादन के लिए अपनी रुचि दिखा सके। ऐसी रियायत उत्तराखंड राज्य द्वारा वापस नहीं ली जा सकती और यह याचिकाकर्ता के साथ किए गए वादे के खिलाफ होगी। उनका यह भी कहना था कि बिजली उत्पादन के लिए पानी के उपयोग पर कर लगाने से बिजली की लागत बढ़ जाएगी जो अंततः उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी। उनका कहना है कि बिजली उत्पादन के लिए पानी के उपयोग पर कर लगाना बिजली उत्पादन पर अप्रत्यक्ष कर लगाने के समान होगा और जब आर0आई0ए0 के सभी पक्ष समझौते के नियमों और शर्तों से बंधे हैं तो राज्य अपने आश्वासन से पीछे नहीं हट सकता। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता ए0एच0पी0सी0एल0 की ओर से जो तर्क दिया गया है वह सही है और विवादित अधिनियम का अधिनियमन वचन विबंधन के सिद्धांत द्वारा वर्जित है।

63) उत्तर में, प्रतिवादी राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए यह दिखाने के लिए निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया कि छूट वापस लेने के माध्यम से सरकार द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी न ही याचिकाकर्ता कंपनियों को कोई भारी नुकसान हुआ क्योंकि कर का बोझ अंततः उपभोक्ता पर डाला जाएगा।

(I) कासिंका ट्रेडिंग और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (1995) 1 एस0सी0सी0 274

(II) अमृत बनस्पति कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (1992) 2 एस0सी0सी0 411

(III) पंजाब राज्य बनाम नेस्ले इंडिया लिमिटेड और अन्य, (2004) 6 एस0सी0सी0 465

64) पैराग्राफ नं. कासिंका ट्रेडिंग[13] के 13 और 27 यहां से निकाले गए हैं:

"13. वचन विबंधन के सिद्धांत का दायरा, दायरा और आयाम पिछली एक चौथाई सदी से इस देश में इस न्यायालय के क्रमिक निर्णयों से विकसित किया गया है जो भारत बनाम इंडो–अफगान एजेंसीज लिमिटेड, ए0आई0आर0 1968 एस0सी0 718 से शुरू होतर है। इस संबंध में सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम उल्हासनगर नगर परिषद, (1970) 1 एस0सी0सी0 582: मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम राज्य यू0पी0, जीत राम शिव कुमार बनाम हरियाणा राज्य, (1981) 1 एस0सी0सी0 11: भारत संघ बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, (1985) 4 एस0सी0सी0 369: इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र (बी0आ0ेएम0) प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ ा,(1985) 1 एस0सी0सी0 641 : पौरनामी ऑयल मिल्स बनाम केरल राज्य {1986, सप्लिमेंट। एस0सी0सी0 728: श्री बकुल ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम राज्य गुजरात, (1987) 1 एस0सी0सी0 31: सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर बनाम धर्मेंद्र ट्रेडिंग कंपनी, (1988) 3 एस0सी0सी0 570: अमृत बंसपति कंपनी लिमिटेड बनाम राज्य पंजाब (1992) 2 एस0सी0सी0 511 और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हिंदुस्तान डेवलपमेंट कार्पोरेशन (1993) 3 एससीसी 499 का संदर्भ दिया जा सकता है। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (सुप्रा) में न्यायालय की राय है:

''हम यह भी बता सकते हैं कि वचनबंधन सिद्धांत एक न्यायसंगत सिद्धांत है, जब इक्विटी को इसकी आवश्यकता हो तो इसे झुक जाना चाहिए। अगर यह सरकार या जनता द्वारा दिखाया जा सकता ळे तो प्राधिकारी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार या जनता को असमान किए गए इसके द्वारा प्रतिनिधित्व के लिए जिम्मेदार रखा जा सकता है न्यायालय उस व्यक्ति के पक्ष में जिससे वादा किया गया या प्रतिनिधित्व किया गया, कोई इक्विटी नहीं देगा और सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ प्रतिनिधित्व या वादे को लागू नही करेगा। ऐसे मामले में वचनबंधन सिद्धांत विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि समानता नही चाहेगी कि तथ्यों पर, सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण इसके द्वारा किये गये वादे या अभ्यावेदन से बंधे रखा जाए।''

वास्तव में, वर्तमान स्थिति में प्रस्तुतीकरण विवादास्पद नहीं है लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष किसी सामग्री के अभाव में या इस अपील में भी जो स्थापित करें, कि अधिसूचना दिनांक 29.08.1980 किसी भी परोक्ष या बाहरी विचार के लिए जारी किया गया थी और ''सार्वजनिक हित में'' नहीं था, हमारे पास पहले बैच से मौजूद कारणों से अधिसूचना में त्रुटि का पता लगाना संभव नहीं है। अपीलकर्ता, जो व्यवसाय में हैं, उन्हे व्यवसाय में उतार चढाव के लिए तैयार होना ही चाहिए। पौरनामी तेल मिल्स, 1986 सप एस0सी0सी0 728, में औद्योगीकरण बढ़ावा देने की दृष्टि से राज्य में नए उद्योग सेट करने का यह प्रोत्साहन था, कि छूट दी गई थी और यह उस तथ्य स्थिति में था कि अपीलकर्ता के लिए वचन–बंधन सिद्धांत को उपलब्ध रखा गया था। बकुल ऑयल इंडस्ट्रीज (1987) 1 एस0सी0सी0 31,में फिर से यह एक अनुरूप क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन था कि छूट दी गई थी और न्यायालय ने माना कि सरकार द्वारा दी गई छूट वापस ले ज सकती है यह केवल तभी किया जा सकता था जब ऐसी निकासी वचनबंधन के नियम का उल्लंघन किए बिना और दावा करने के हकदार उद्योग को वंचित किए बिना, जिसके लिए संपूर्ण निर्दिष्ट अवधि के लिए छूट देते समय इसमें छूट का वादा किया गया था, की जा सकती हो। इसलिए ये दोनों मामले अपीलकर्ता के मामला मे आगे नहीं बढ़ सकते और अलग–अलग हैं क्योकि अधिनियम की धारा 25 जो इस मामलेमें जारी की गयी, के अंतर्गत किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कोई प्रोत्साहन देने हेतु पी0वी0सी0 रेजिन का उपयोग करने की छूट नही थी, और दूसरी ओर सार्वजनिक हित में प्रयुक्त वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गयी थी और बाद में सार्वजनिक हित में उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए वापस ले ली गयी। हमारी राय में, सरकार द्वारा अपनी नीति पर कार्यवाई और समीक्षा न करके किसी स्पष्ट वादे का अभाव में अपीलकर्ताओं पर कोई उचित पूर्वाग्रह नहीं डाला गया। भले ही आवश्यकता थी और ''सार्वजनिक हित'' की ऐसा मांग थी। इस प्रकार, तथ्यों और परिस्थितियों में इन मामलों में, अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 25 के तहत जारी अधिसूचना की वापस पर प्रश्न हेतु वचनबद्ध सिद्धांत का आह्वान नहीं कर सकते ।"

65) इसके अलावा, **अमृत बंसपति**[15], के पैराग्राफ संख्या 4 और 10 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारण किया है :

"4. इसलिए, इस चीज की जांच करने की आवश्यकता है, कि क्या सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता से कोई वादा किया गया था कि बिक्री कर इसे वापस कर दिया जाएगा और यदि अपीलकर्ता ने इस पर कार्रवाई करते हुए इसमें बदलाव किया है। इसके लिए ऐसी स्थिति में एकल और डिवीजन बेंच दोनों विद्वान न्यायाधीश द्वारा कहे गये तथ्यो का यहा वर्णनकिया जाना

आवश्यक है। भले ही दोनो ने इस पर विस्तृत रूप से विचार किया है। माना जाता है कि इसकी 'नई' घोषणा करते हुए कि प्रोत्साहन और छूट दी जायेगी, पंजाब सरकार द्वारा दिसंबर 1966 में एक ब्रोशर जारी किया गया था यह कहते हुए कि प्रोत्साहन और रियायत, में से एक उन्हें बिक्री कर का रिफंड होगा। यह वे व्यक्ति जो चयनात्मक बड़े पैमाने पर केंद्र बिंदु में उद्योग की स्थापना करते हैं। चाहे यह ब्रोशर अधिकृत था या नहीं और पार्टियों के अधिकारों पर इसका कानूनी प्रभाव बाद में विज्ञापित किया जाएगा। लेकिन यह निर्विवाद है इस पर कार्रवाई करते हुए अपीलकर्ता के प्रतिनिधि ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और यह पाया वह राज्य में वनस्पति विनिर्माण इकाइयाँ को प्रोत्साहित करने में रुचि रखते थे इसलिए, इसके मैनेजर ने जून 1968 में मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा यूनिट स्थापित करने की इच्छा जताते हुए। बशर्ते उसे रियायतें उपलब्ध करायी जायें जिसका उत्तर उद्योग निदेशक ने अपीलकर्ता को आश्वासन देते हुए जुलाई 2, 1968 को दिया था कि घोषित रियायत उपलब्ध होगी और आगे अपीलकर्ता को सूचित किया कि सरकार ऐसी अतिरिक्त रियायत पर विचार करने को इच्छुक थी जो अपीलकर्ता योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है। इसके बाद अपीलकर्ता के प्रतिनिधि ओर सरकार के अधिकारी के बीच विभिन्न पत्राचार के आदान–प्रदान और बैठके हुई ....

....इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व था कि यदि वह फोकल प्वाइंट में अपनी इकाई स्थापित करता है तो वह सरकार द्वारा घोषित रियायत और प्रोत्साहन का हकदार होगा। क्या इस तरह के प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप बाध्यकारी समझौता हुआ, यह अलग मुद्दा है लेकिन सरकारी नीति के अनुसरण में उद्योग सचिव और उद्योग निदेशक से आने वाले प्रतिनिधित्व को अनधिकृत या अधिकार के दायरे से परे नहीं माना जा सकता है...''

10. लेकिन समानता के सिद्धांत का विस्तार होने के कारण, जिसका मूल उद्देश्य निष्पक्षता पर आधारित न्याय को बढ़ावा देना है और वादा करने वाले के अपने वादे से मुकरने के कारण होने वाले किसी भी अन्याय से छुटकारा दिलाना है, अदालत में लागू होने में असमर्थ है। कानून के अनुसार यदि वह वादा जो कार्रवाई का कारण बताता है या समझौता, व्यक्त या निहित, बाध्यकारी अनुबंध को जन्म देता है, वैधानिक रूप से निषिद्ध है या सार्वजनिक नीति के खिलाफ है...

... अधिनियम के तहत देय और कानून के अनुसार वसूले गए कर को वापस करने का वादा या समझौता संविधान के साथ धोखाधड़ी और लोगों के विश्वास का उल्लंघन होगा। बिक्री कर जैसे करों का भुगतान एक गरीब व्यक्ति द्वारा भी अपनी

बचत की परवाह किए बिना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और राज्य के विकास में भागीदारी की भावना से किया जाता है। राज्य में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए प्रलोभन के रूप में भुगतानकर्ता को नहीं बल्कि एक निजी व्यक्ति, एक निर्माता को रिफंड के रूप में इसका उपयोग लोगों के विश्वास का उल्लंघन होगा जो कानून के तहत धोखाधड़ी के बराबर होगा।''

66) **नेस्ले इंडिया**[7] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:

''40। अपीलकर्ता द्वारा उद्धृत कासिंका ट्रेडिंग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (1995) 1 एस0सी0सी0 274 का मामला इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि धारा 25 जैसे राजकोषीय कानून में एक प्रावधान के तहत छूट अधिसूचना जारी करना मात्र हैसीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कोई वचनबंध रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि ऐसी छूट अपने स्वभाव से ही रद्द होने या संशोधित होने या अन्य शर्तों के अधीन होने के लिए अतिसंवेदनशील होती है। दूसरे शब्दों में, कोई स्पष्ट प्रतिनिधित्व नहीं है। छूट देने की शक्ति में गोलमाल के बीज निहित हैं। इसलिए, प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के सिद्धांत का उल्लंघन किए बिना छूट अधिसूचना को रद्द किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता की प्रॉमिसरी एस्टॉपेल की याचिका को विफल करने के लिए सरकार के लिए अपने पक्ष में एक सर्वोपरि इक्विटी स्थापित करना आवश्यक नहीं होगा। न्यायालय ने यह भी माना कि भारत सरकार ने जनहित में प्रासंगिक कारणों पर छूट अधिसूचना को वापस लेने को उचित ठहराया था।

> ''सीमा शुल्क आदि का बोझ उपभोक्ता पर डाला जाता है और इसलिए अपीलकर्ताओं को भारी नुकसान होने का सवाल समझ में नहीं आता है।''

(श्रीज सेल्स कॉर्पोरेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (1997) 3 एससीसी 398 और एस0टी0ओ0 बनाम श्री दुर्गा ऑयल मिल्स, (1998) 1 एससीसी 572 भी देखें)। हम इस निर्णय की इस मामले के तथ्यों से प्रासंगिकता नहीं देखते हैं। यहां अभ्यावेदन स्पष्ट और स्पष्ट हैं।''

67) याचिकाकर्ता टी0एच0डी0सी0 के विद्वान वरिष्ठ वकील ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड[1] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा जताया। पैराग्राफ संख्या में 24, 26 और 45 में डॉ. टी0एस0 ठाकुर, सी0जे0 (जैसा कि उस समय लॉर्डशिप थी) ने स्वयं और सीकरी और खानविलदार, जे0जे0 द्वारा निम्नानुसार देखा गया है:

''24 हालाँकि, संप्रभु शक्ति का प्रयोग संवैधानिक सीमाओं के अधीन है, विशेष रूप से हमारी जैसी संघीय व्यवस्था में, जहाँ राज्य भी अनुमति की सीमा तक कानून बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसमें कर, शुल्क और शुल्क लगाने वाले कानून भी शामिल हैं। वह शक्ति कर लगाना संवैधानिक सीमाओं के अधीन है, यह अब एकीकृत नहीं है। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम यूपी राज्य, (1990) 1 एस0सी0सी0 109 में माना है कि भारत में केंद्र और राज्य दोनों ही इसका आनंद लेते हैं। संप्रभु शक्ति का प्रयोग उस सीमा तक, जहां तक संविधान उन्हें वह शक्ति प्रदान करता है। इस न्यायालय ने घोषणा की:

''56 लोगों के स्वास्थ्य, शांति, नैतिकता, शिक्षा और अच्छी व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली सभी चीजें करने के लिए संप्रभु शक्ति प्रत्येक संप्रभु राज्य में पूर्ण और अंतर्निहित है। संप्रभुता को परिभाषित करना कठिन है। हालाँकि, संप्रभुता की यह शक्ति संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। कुछ संवैधानिक अधिकारियों के अनुसार, यह शक्ति जनता के लिए वही है जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है, कर लगाने या लगान लगाने का अधिकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।'' हालाँकि, संवैधानिक सीमाओं के अधीन। कुछ संवैधानिक अधिकारियों के अनुसार, यह शक्ति जनता के लिए वही है जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है, कर लगाने या लगान लगाने का अधिकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।'' हालाँकि, संवैधानिक सीमाओं के अधीन। कुछ संवैधानिक अधिकारियों के अनुसार, यह शक्ति जनता के लिए वही है जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है, कर लगाने या लगान लगाने का अधिकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।''

26. इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि जब अनुच्छेद 246(2) और (3) सातवीं अनुसूची में मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडलों को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, तो ऐसी विधायी शक्ति ऊपर उल्लिखित संवैधानिक सीमाओं के अधीन प्रयोग योग्य है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य विधानमंडलों की कर लगाने की शक्ति भी संविधान के भाग XIII में प्रदर्शित अनुच्छेद 304 (ए) की सीमाओं के अधीन है, जो भाग राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग को नियंत्रित करता है। भारत और इसमें अनुच्छेद 301 से 307 शामिल हैं। इन अनुच्छेदों के प्रावधान इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला का विषय रहे हैं, जिनमें कई संविधान पीठ के फैसले भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ का हम वर्तमान में उल्लेख करेंगे। प्रावधानों में प्रयुक्त भाषा और गैर–अस्पष्ट धाराएं जिनके साथ एक ही शुरुआत होती है, ने पिछले पांच दशकों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए कई विवादास्पद मुद्दों को जन्म दिया है।

68) उत्तर में, प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने पैराग्राफ संख्या पर भरोसा जताया। निर्णय के 28, 29, 91 और 332 (सुप्रा) निम्नानुसार हैं:

''28. कर लगाने की शक्ति, केवल संविधान द्वारा नियंत्रित एक संप्रभु शक्ति होने के नाते, उस शक्ति पर कोई भी सीमा स्पष्ट होनी चाहिए। यह प्रस्ताव उमेग सिंह बनाम बॉम्बे राज्य, एआईआर 1955 एससी में इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है। 540 और फर्म बंसीधर प्रेमसुखदास बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1967 एससी 40। उमेग सिंह मामले में इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में बताया:

''12. ...राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता को केवल संविधान में निहित स्पष्ट निषेध द्वारा ही सीमित किया जा सकता है और जब तक कि संविधान में इस विषय पर स्पष्ट रूप से या सशर्त रूप से कानून बनाने पर कोई प्रावधान नहीं है, तब तक कोई प्रावधान नहीं है। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और III में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल को प्राप्त पूर्ण शक्तियों पर प्रतिबंध या सीमा। ...

13. राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति पर बंधन या सीमा, जिसके पास संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और III में निर्दिष्ट विधायी प्रमुखों के दायरे में कानून की पूर्ण शक्तियां थीं, केवल संविधान द्वारा ही लगाई जा सकती थीं और किसी भी दायित्व से नहीं जो डोमिनियन सरकार या बॉम्बे प्रांत या यहां तक कि बॉम्बे राज्य द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 246 के तहत राज्य विधानमंडल को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और III में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई थी और यह शक्ति संविधान के प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 245(1) के आधार पर थी। संविधान ने स्वयं ही इस शक्ति पर बंधन या सीमएँ निर्धारित की हैं, उदाहरण के लिए अनुच्छेद 303 या अनुच्छेद 286(2)।लेकिन जब तक अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि संविधान ने स्वयं स्पष्ट रूप से या तो पूरी तरह से या सशर्त रूप से इस विषय पर कानून बनाने पर रोक लगा दी है, राज्य विधानमंडल की अपनी विधायी क्षमता के भीतर कानून बनाने की शक्ति पूर्ण थी। एक बार जब कानून का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और III की किसी भी प्रविष्टि में शामिल हो गया, तो ऐसी विधायी शक्ति पर बंधन या सीमा को संविधान के भीतर ही पाया जाना था और यदि ऐसी कोई बाधा या सीमा नहीं थी यह पाया गया कि राज्य विधानमंडल के पास विवादित अधिनियम को अधिनियमित करने की पूरी क्षमता थी, भले ही ऐसा अधिनियमन दी

गई गारंटी के विपरीत था, या डोमिनियन सरकार या बॉम्बे प्रांत या यहां तक कि बॉम्बे राज्य द्वारा किए गए दायित्व के विपरीत था।

29. बंसीधर मामले (सुप्रा) में फिर से इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में दोहरायाः

''7............यह दृष्टिकोण जगन्नाथ बख्श सिंह बनाम संयुक्त प्रांत, 1946 8 एफसीआर 111 में न्यायिक समिति के फैसले से सामने आया है, जिसमें अवध के तालुकदारों द्वारा संयुक्त प्रांत किरायेदारी अधिनियम (यूपी अधिनियम 17) के खिलाफ इसी तरह की शिकायत की गई थी। 1939). न्यायिक समिति द्वारा यह माना गया कि क्राउन केवल इस तथ्य से अपने विधायी अधिकार से वंचित नहीं हो सकता अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए यह उस क्षेत्र के भीतर भूमि का अनुदान देता है जिस पर ऐसा विधायी अधिकार मौजूद है, और कोई भी अदालत अपनी संप्रभु क्षमता के वैध दायरे में कार्य करने वाले विधायी निकाय के अधिनियमन को रद्द नहीं कर सकती है। *इसलिए, यदि यह पाया जाता है कि क्राउन अनुदान का विषय–वस्तु प्रांतीय विधायिका की क्षमता के भीतर है, तो उस विधायिका को इसके बारे में कानून बनाने से कोई नहीं रोक सकता जब तक कि संविधान अधिनियम न हो।स्वयं स्पष्ट रूप से इस विषय पर पूर्ण या सशर्त रूप से कानून बनाने पर रोक लगाता है।* तदनुसार, ऐसे किसी भी स्पष्ट निषेध के अभाव में, संयुक्त प्रांत किरायेदारी अधिनियम, 1939, जो आगरा और अवध में कृषि किरायेदारी और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करता है, विशेष विधायी क्षमता के भीतर मामलों से निपटता है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची 11 के आइटम 21 के तहत प्रांतीय विधायिका, प्रांतीय विधायिका के अधीन थी, भले ही इसके कुछ प्रावधानों ने अनुदान में शामिल होने के लिए अपीलकर्ता तालुकदार द्वारा दावा किए गए पूर्ण अधिकारों में कटौती की हो। उनकी संपत्ति का प्रमाण क्राउन द्वारा उनके पूर्ववर्ती को दी गई सनद से मिलता है। *उमेग सिंह और अन्य बनाम बॉम्बे राज्य, एआईआर 1955 एससी 540*। यह बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 246 के मद्देनजर, गारंटी पत्रों के खंड 5 की शर्तों से विधायी क्षमता में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। डोमिनियन सरकार द्वारा ''राज्यों'' के शासकों को दिया गया विलय के समझौतों के बाद, जो अन्य बातों के साथ–साथ, विलय किए गए 'राज्यों' में जागीरों की निरंतरता की गारंटी देता था। यह सिद्धांत *महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, एआईआर 1963 एससी 953* में इस न्यायालय के हालिया फैसले को भी रेखांकित करता है, जिसमें यह बताया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 295 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संसद को कानून बनाने से रोकता

है। किसी अनुबंध या अनुदान के नियमों और शर्तों को बदलने वाला कानून जिसके तहत भारत सरकार की देनदारी उत्पन्न होती है...'' (जोर दिया गया)

91. यह कहना पर्याप्त है कि संविधान के किसी भी प्रावधान की व्याख्या तभी सही और सही होगी जब न्यायालय संविधान को समग्र रूप से देखता है और संवैधानिक योजना की सभी महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण विशेषताओं को ध्यान में रखता है और लगातार खुद को इसकी आवश्यकता की याद दिलाता है। सामंजस्यपूर्ण निर्माण, ऐसा न हो कि किसी दिए गए प्रावधान पर की गई व्याख्या संविधान के किसी अन्य प्रावधान या विशेषता के प्रभाव या महत्व को कम करने या कम करने का प्रभाव डाले। इस प्रकार व्याख्या की गई कि भाग XIII में प्रदर्शित अनुच्छेद 301, हमारी राय में, राज्यों की कर लगाने की शक्तियों पर बाधा के रूप में काम नहीं करता है, सिवाय उन स्थितियों के जहां ऐसे कर अनुच्छेद 304 (ए) के उल्लंघ ान में आते हैं। संविधान का इस प्रकार प्रासंगिक दृष्टिकोण उस पाठ्य व्याख्या से पूरी तरह मेल खाता है जिसे हमने भाग XIII में रखा है।''

332. उपरोक्त संविधान सभा की बहस और अनुच्छेद 301 का इतिहास बताता है कि अनुच्छेद 301 में परिकल्पित स्वतंत्रता कराधान से मुक्ति नहीं है बल्कि केवल व्यापार बाधाओं से मुक्ति है। जब तक कर गैर–भेदभावपूर्ण रहेगा, तब तक इसकी वैधता को अनुच्छेद 301 के तहत नहीं आंका जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 246(3) के तहत , एक राज्य के पास सातवीं अनुसूची की सूची II में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में ऐसे राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति है। अनुच्छेद 246(3) अनुच्छेद 246 के खंड (1) और (2) के अधीन है, यानी सातवीं अनुसूची की सूची I और III में सूचीबद्ध मामले। अनुच्छेद 265 के अनुसार, कर केवल कानून के अधिकार के तहत लगाया जा सकता है और इसमें कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है। कराधान में अनुच्छेद 366(28) के तहत परिभाषित किसी भी कर को लगाना शामिल है :

''366(28) ''कराधान'' में किसी भी कर या लगान को लगाना शामिल है, चाहे वह सामान्य हो या स्थानीय या विशेष, और ''कर'' का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।''

यह कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी भी बोझ के एक हिस्से के रूप में अनिवार्य वसूली की एक संप्रभु शक्ति है। कर लगाना करदाताओं को किसी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए की गई एक अनिवार्य वसूली है।''

69) सबसे पहले, इस न्यायालय को इस मुद्दे से निपटना होगा – क्या उत्तराखंड सरकार आक्षेपित अधिनियम को लागू करने के लिए वचनबंधन से बंधी है? पार्टियों के विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने और **कासिंका ट्रेडिंग**[13]**, अमृत बनस्पति**[15] **और नेस्ले इंडिया लिमिटेड**[7] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि राज्य सरकार की कार्रवाई उचित है। वचन विबंधन के सिद्धांत द्वारा वर्जित नहीं।

70) इसलिए, इस न्यायालय का मानना है कि विधायी, संप्रभु या कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में सरकार के खिलाफ रोक का सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। यदि इसे जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो विधायिका को एस्टोपेल के सिद्धांत का सहारा लेकर अपने विधायी कार्य करने से कभी नहीं रोका जा सकता है। यह प्रस्ताव असाधारण है, क्योंकि सरकार का जनता के प्रति एक विशेष तरीके से कार्य करने का कर्तव्य है और सरकार को कानून के तहत अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए रोक के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। वचन–बंधन के नियम को कानून के प्रावधानों को विफल करने के लिए दलील नहीं दी जा सकती। विबंध का सिद्धांत कानून द्वारा लगाए गए दायित्व या दायित्व के तहत लागू नहीं किया जा सकता है,मुख्यतः जब कर से मुक्ति की शक्ति का अभाव हो।

71) इस न्यायालय के विचारार्थ दूसरा मुद्दा यह है कि क्या राज्य विधायिका विवादित अधिनियम को लागू करने में सक्षम है या नहीं?

72) रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच में याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता और अधिकारों को इस आधार पर चुनौती दी है कि चूंकि राज्य सरकार ने स्वयं याचिकाकर्ता कंपनियों के साथ एक आरआईए में प्रवेश किया है, इसलिए यूपी राज्य और यूपीपीसीएल और आरआईए को निष्पादित किया गया है। पार्टियों के बीच, उनकी कार्रवाई वचनबंधन के सिद्धांत द्वारा वर्जित है। साथ ही, चुनौती संवैधानिक वैधता और अधिनियम की शक्तियों पर भी है राज्य की विधायी क्षमता. जहां तक एएचपीसीएल के विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ–साथ यूपीपीसीएल के विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क का सवाल है, इस निर्णय के मुख्य भाग में इस संबंध में तथ्यों और कानून पर चर्चा करते हुए विस्तृत टिप्पणियां की गई हैं और यह माना गया है कि अधिनियम को लागू करने में राज्य सरकार की कार्रवाई वचनबंधन के सिद्धांत द्वारा वर्जित नहीं है। जहां तक राज्य की विधायी क्षमता का सवाल है, याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 288 के मद्देनजर कोई अधिकार नहीं देता है।

73) भारत के संविधान का अनुच्छेद 200 निम्नानुसार प्रदान करता है–

''200. विधेयकों पर सहमति – जब कोई विधेयक किसी राज्य की विधान सभा द्वारा पारित किया गया हो या, विधान परिषद वाले राज्य के मामले में, राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया हो, तो यह होगा राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल या तो घोषणा करेगा कि वह विधेयक पर सहमति देता है या वह उस पर सहमति रोकता है या वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करता है:

बशर्ते कि राज्यपाल बिल को सहमति के लिए प्रस्तुत करने के बाद जितनी जल्दी हो सके, बिल को वापस कर सकते हैं यदि यह धन विधेयक नहीं है, तो यह अनुरोध करते हुए एक संदेश के साथ कि सदन या सदन विधेयक या उसके किसी निर्दिष्ट प्रावधान पर पुनर्विचार करेंगे। और, विशेष रूप से, ऐसे किसी भी संशोधन को पेश करने की वांछनीयता पर विचार करेगा जैसा कि वह अपने संदेश में सिफारिश कर सकता है और, जब कोई विधेयक लौटाया जाता है, तो सदन या सदन तदनुसार विधेयक पर पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक सदन द्वारा फिर से पारित किया जाता है या सदन संशोधन के साथ या बिना संशोधन के और राज्यपाल की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उस पर सहमति नहीं रोकेंगे:

बशर्ते कि राज्यपाल किसी भी विधेयक पर सहमति नहीं देंगे, बल्कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेंगे, जो राज्यपाल की राय में, यदि यह कानून बन जाता है, तो उच्च न्यायालय की शक्तियों से इतना कम हो जाएगा कि स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। वह न्यायालय इस संविधान द्वारा भरने के लिए बनाया गया है।''

74) इसके अलावा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 288 निम्नानुसार निर्धारित है :

''**288. कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्य द्वारा कराधान से छूट** – (1) जहां तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा प्रदान कर सकते हैं, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू राज्य का कोई भी कानून नहीं होगा किसी भी मौजूदा कानून या किसी अंतर–राज्यीय नदी को विनियमित करने या विकसित करने के लिए संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत, उत्पादित, उपभोग, वितरित या बेचे गए किसी भी पानी या बिजली के संबंध में कर लगाना या लगाने का अधिकार देना नदी की घाटी।

स्पष्टीकरण –इस खंड में अभिव्यक्ति ''किसी राज्य के लागू कानून'' में इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाया गया एक राज्य का कानून शामिल

होगा और पहले निरस्त नहीं किया गया होगा, भले ही यह या इसके कुछ हिस्से तब लागू न हों। सभी या विशेष क्षेत्रों में।

(2) किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा खंड (1) में उल्लिखित किसी भी ऐसे कर को लगा सकता है, या लगाने का अधिकार दे सकता है, लेकिन ऐसे किसी भी कानून का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा, जब तक कि वह विचार के लिए आरक्षित न कर दिया गया हो। राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुईय और यदि ऐसा कोई कानून किसी प्राधिकारी द्वारा कानून के तहत बनाए जाने वाले नियमों या आदेशों के माध्यम से ऐसे कर की दरों और अन्य घटनाओं के निर्धारण के लिए प्रदान करता है, तो कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति प्राप्त करने का प्रावधान करेगा। ऐसा कोई नियम या आदेश।''

75) भारत के संविधान के अनुच्छेद 288 में निहित प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि कर किसी मौजूदा कानून या किसी कानून द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत, उत्पादित, उपभोग, वितरित या बेचे गए किसी भी पानी या बिजली के संबंध में नहीं है । किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी को विनियमित करने या विकसित करने के लिए संसद द्वारा बनाया गया। बल्कि, यह बिजली उत्पादन के लिए पानी के गैर–उपभोग्य उपयोग पर एक कर है , जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 288(1) के अंतर्गत नहीं आता है। जहां तक याचिकाकर्ता टीएचडीसी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का एक और तर्क है कि अनुच्छेद 288(2) में निहित प्रावधान के मद्देनजरभारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधायिका ऐसा कोई कर तभी लगा सकती है जब कानून को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो, यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 288(2) का उल्लंघन नहीं है। बल्कि यह भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची ꙳ की प्रविष्टि 17 के तहत निहित प्रावधानों के अनुरूप है। सूची II की प्रविष्टि 17 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को विधेयक के अधिनियम का रूप लेने से पहले संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल द्वारा सहमति प्रदान की गई है। इसके अलावा, अनुच्छेद 163(2)संविधान में प्रावधान है – यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला है या नहीं, जिसके संबंध में राज्यपाल को इस संविधान के तहत या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, तो राज्यपाल का अपने विवेक से निर्णय अंतिम होगा, और राज्यपाल द्वारा किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि उसे अपने विवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। संविधान के अनुच्छेद 200 को पढ़ने से पता चलता है कि चूंकि मामला सूची II की प्रविष्टि 17 से संबंधित है जिसके तहत राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है, इस प्रकार राज्य विधायिका द्वारा

विधेयक के अनुमोदन के बाद, माननीय राज्यपाल ने सहमति दे दी है उपरोक्त विधेयक के लिए इस अनुच्छेद के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करते हुए। साथ ही, चूँकि मामला सूची I (संघ सूची) से संबंधित नहीं है, इसलिए उपरोक्त विधेयक पर राष्ट्रपति के विचार की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, राज्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 और 288 के उल्लंघन के संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दी गई दलीलें गलत हैं।

76) यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में इस बात पर कोई रोक नहीं है कि राज्य विधानमंडल उत्तराखंड राज्य में गैर–उपभोग्य उपयोग के लिए पानी पर कर लगाने के लिए कोई कानून नहीं बना सकता है, इसलिए, इसमें किसी प्रावधान के अभाव में संबंध में, प्रश्नगत अधिनियम में कोई दोष नहीं जोड़ा जा सकता है।

77) याचिकाकर्ता मेसर्स स्वस्ति पावर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गौरव बनर्जी। लिमिटेड ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी राज्य उसकी दलीलों के विपरीत बहस नहीं कर सकता। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी राज्य ने उनके द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में उनके द्वारा की गई दलीलों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। दिनांक 11.06.2018 को दायर जवाबी हलफनामे में रिट याचिका संख्या. 2018 के 641 (एम/एस), पैराग्राफ 28(ई) में प्रतिवादी राज्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि:

> ''उक्त अधिनियम 2012, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 17 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियमित किया गया है, जो राज्य सूची (सूची II) से संबंधित मामलों पर कानून बनाने के लिए राज्य की विधायी क्षमता से संबंधित है। इसके अलावा, विधेयक पारित हुआ राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 288(2) के तहत इसे एक अधिनियम बनाने के लिए माननीय राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 और 163(2) के तहत सहमति दे दी गई है।''

जवाबी हलफनामे के उक्त पैराग्राफ पर भरोसा करते हुए यह कहा गया है कि प्रतिवादी राज्य अचानक अंतिम तर्क के चरण में जवाबी हलफनामे में उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण से अलग हो गया है और तर्क उठाए हैं, जो उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के लिए पूरी तरह से विरोधाभासी हैं। जवाबी हलफनामा. इस तरह की दलीलें अधिनियम के कथन और उद्देश्यों और विवादित अधिनियम पर 14. 12.2011 को हुई विधायी बहस के भी विपरीत हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है

कि अंतिम तर्क के चरण में उत्तरदाताओं ने पहली बार यह तर्क उठाया है कि विवादित अधिनियम सूची II की प्रविष्टि 17, 18, 45, 49 और 50 के प्रावधानों के तहत अधिनियमित किया गया है, जो इसके विपरीत है। जवाबी हलफनामे में उनके द्वारा जो दलीलें दी गईं। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी राज्य द्वारा दिनांक 11.06.2018 को जवाबी हलफनामा श्री आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार के माध्यम से दायर किया गया था, जो राज्य के विधिवत प्रतिनिधि नियुक्त हैं। इसलिए, प्रतिवादी राज्य अपने विधिवत नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा जवाबी हलफनामे के माध्यम से किए गए प्रस्तुतीकरण का पूरी तरह से खंडन करके, अंतिम तर्क के इतने विलंबित चरण में एक नया मामला नहीं बना सकता है। फाइनल के दौरान प्रतिवादी राज्य की ओर से दलीलें दी गईं प्रतिवादी राज्य अंतिम दलीलों के इतने विलंबित चरण में, अपने विधिवत नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा जवाबी हलफनामे के माध्यम से की गई दलीलों का पूरी तरह से खंडन करके, एक नया मामला नहीं बना सकता है। फाइनल के दौरान प्रतिवादी राज्य की ओर से दलीलें दी गईं प्रतिवादी राज्य अंतिम दलीलों के इतने विलंबित चरण में, अपने विधिवत नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा जवाबी हलफनामे के माध्यम से की गई दलीलों का पूरी तरह से खंडन करके, एक नया मामला नहीं बना सकता है। फाइनल के दौरान प्रतिवादी राज्य की ओर से दलीलें दी गईं तर्क विवादित अधिनियम को लागू करने के पीछे के विधायी इरादे के भी विपरीत हैं, जैसा कि विवादित अधिनियम पर विधायी बहस में दर्शाया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सूची II की प्रविष्टि 17 से विवादित अधिनियम को लागू करने के लिए विधायी क्षमता प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार, प्रतिवादी राज्य को जवाबी हलफनामे में उसके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के साथ–साथ विवादित अधिनियम के पीछे के विधायी इरादे के विपरीत इतनी देर से अपने तर्कों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

78) **गोवा ग्लास फाइबर लिमिटेड**[2] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:

"27. अधिनियम पूरी तरह से एक अलग स्तर पर खड़ा है और उच्च न्यायालय के दिनांक 19.04.2001/24.04.2001 के फैसले का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। अधिनियम यह उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतंत्र है और इसकी वैधता का परीक्षण इन आधारों पर नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने के समर्थन में पिछली कार्यवाही और वर्तमान कार्यवाही में कथित तौर पर राज्य द्वारा उठाए गए अलग–अलग रुख पर दृढ़ता से भरोसा किया है। संजीव कोक एमएफजी कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (1983) 1 एससीसी 147 में इस न्यायालय ने माना है कि कानून की

वैधता का आकलन राज्य की ओर से दायर एक हलफनामे में कही गई बातों से नहीं किया जाना चाहिए और यह कि यह गिरना चाहिए या अपने प्रावधानों के बल पर खड़ा होना चाहिए।''

79) याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्तरदाताओं द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर बहुत जोर दिया गया है। शुरू में श्री आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव (सिंचाई), सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में। सत्ता प्राप्त करने का स्रोत उत्तराखंड का बताया गया है, लेकिन बाद में एक और जवाबी हलफनामा दाखिल कर राज्य ने अपने रुख में भारी बदलाव किया है। यह सत्य है कि राज्य ने एक और हलफनामा दायर करके अपना बचाव बदल दिया है, लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जिन मामलों में याचिकाकर्ताओं द्वारा कुछ आधारों पर कानून की वैधता पर हमला किया गया है, केवल याचिकाकर्ताओं को ही अधिनियम की वैधता पर हमला करना होगा। और उन्हें दलील उठाकर और कानून के प्रावधानों की व्याख्या करके यह साबित करना होगा कि इसे लागू करना राज्य की क्षमता से परे है। अनुचित जवाबी हलफनामा दाखिल करना या जवाबी हलफनामे में कोई विशिष्ट दलील न उठाना बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। दूसरे शब्दों में, किसी अधिनियम की वैधता को चुनौती देने के मामले में, जवाबी हलफनामे की अधिक प्रासंगिकता नहीं है। यह याचिकाकर्ताओं पर निर्भर है कि वे कानूनी टिकाऊ आधारों पर अधिनियम की वैधता पर हमला करें। याचिकाकर्ता अपनी याचिका में आधार प्रस्तुत करने में असफल रहे।

80) याचिकाकर्ताओं मेसर्स स्वस्ति पावर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक और दलील दी गई। लिमिटेड और टीएचडीसी का मानना है कि विवादित अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत निहित याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह कहा गया है कि हालांकि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान पर रोक लगाता है, लेकिन यह कानून के उद्देश्य के लिए उचित वर्गीकरण पर रोक नहीं लगाता है। हालाँकि, अनुमेय वर्गीकरण की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दो शर्तों को पूरा करना होगा अर्थात् (i) कि वर्गीकरण होना चाहिए एक समझदार अंतर पर स्थापित किया गया है जो एक साथ समूहीकृत व्यक्तियों या चीजों को समूह से बाहर छोड़े गए अन्य लोगों से अलग करता है, और (ii) उस अंतर का उस वस्तु से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे प्रश्न में कानून द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। आवश्यक यह है कि वर्गीकरण के आधार और विचाराधीन अधिनियम के उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया है कि बिजली पैदा करने के उद्देश्य से खींचे गए पानी पर कर लगाने और लगाने के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और उन

पर दोगुना कर लगाया जा रहा है, जिससे यह दोहरे कराधान के अधीन हो रहा है। पनबिजली परियोजनाओं से कुल बिक्री योग्य ऊर्जा का 12% मुफ्त बिजली के अनुदान के रूप में रॉयल्टी का भुगतान और उसके बाद लागू अधिनियम के अनुसार जल कर का भुगतान करके।

81) जहां तक विद्वान वरिष्ठ वकील की दलील है कि विवादित अधिनियम असंवैधानिक है, जहां तक यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत याचिकाकर्ता को दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है, वर्तमान बैच के अन्य याचिकाकर्ता रिट याचिकाओं में दलील दी गई है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का राज्य द्वारा लागू अधिनियम के तहत उल्लंघन किया गया है। अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भेदभाव, अनुचित वर्गीकरण या समानता खंड के स्पष्ट उल्लंघन का सुझाव देता हो। इसलिए, इस संबंध में याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्क में कोई दम नहीं है। जहां तक अनुच्छेद 19(1)(जी) का उल्लंघन हैसंविधान का संबंध है, यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आक्षेपित अधिनियम के जारी होने से केवल पानी पर कर समान रूप से और तर्कसंगत रूप से लागू किया गया है और किसी भी पेशे का अभ्यास करने या धारण करने की स्वतंत्रता के संबंध में याचिकाकर्ताओं के कोई भी अधिकार नहीं हैं। किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय का उल्लंघन किया गया है। अधिनियमअधिनियम के तहत परिभाषित जल स्रोतों से बिजली पैदा करने के लिए पानी पर उपयोग शुल्क वसूलने के एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया है। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 17 राज्य सरकार को पानी के उपयोग पर शुल्क /कर / उपकर /कानून बनाने का अधिकार देती है। चूंकि उत्तराखंड मुख्य रूप से सीमित राजस्व संसाधनों वाला एक पहाड़ी नकदी–भूखा राज्य है, इसलिए, राज्य की नदियों के पानी का उपयोग करने वाले सभी लोगों पर एक समान कर लगाया गया है। इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए भागीरथी और अलकनंदा नदी। अधिनियमअधिनियम के प्रावधानों के अलावा कहीं भी बिजली उत्पादन के लिए पानी के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि यह बिजली उत्पादन के लिए पानी (गैर–उपभोग्य) के उपयोग पर कर लगाता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा इस संबंध में दी गई दलीलों पर गौर करने से पता चलता है कि कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि लागू अधिनियम किस तरह से याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। कानून में यह स्थापित स्थिति है कि जो कोई भी यह कहता है कि किसी भी अधिनियम के प्रावधान उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, ऐसे व्यक्ति पर प्रदर्शन

करने का भारी कर्तव्य है किस प्रकार से इस तरह का उल्लंघन किया गया है. इस संबंध में विशिष्ट दलीलों के अभाव में यह माना जाएगा कि अधिनियम किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों में कोई दम नहीं है।

82) विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वीके कोहली और श्री डीएस पाटनी यह प्रस्तुत करेंगे कि उक्त अधिनियम का अधिनियमन, प्रख्यापन और अधिसूचना, मनमाना होना, राज्य की कार्रवाई में मनमानी प्रकट करना, प्रतिवादी राज्य की रंगीन शक्तियों के प्रयोग के अलावा और कुछ नहीं है। और राज्य के पास बिजली उत्पादन पर कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है। एमपी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन6 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया है। फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ 14, 15, 16 और 17, जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया है, यहां उद्धृत किया गया है:

''14. 1981 के अधिनियम में संशोधन द्वारा प्रस्तुत धारा 3 की उप –धारा (2) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपकर की उगाही ''उत्पादित विद्युत ऊर्जा पर'' थी। वाक्यांश ''चाहे बिक्री के लिए हो या आपूर्ति के लिए'' केवल यह स्पष्ट किया गया है कि अपने गंतव्य की परवाह किए बिना उत्पादित सभी बिजली निर्दिष्ट दर पर उपकर के लिए उत्तरदायी होगी। ''ऊर्जा उत्पादित'' वाक्यांश के बाद ''चाहे'' शब्द का उपयोग करने का मतलब है कि उपकर उत्पादित इकाइयों पर लागू होगा, चाहे उल्लिखित विकल्पों में से जो भी हो शब्द ''चाहे'' के बाद, अर्थात, बिक्री या आपूर्ति या उपभोग का मामला है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इस्तेमाल किए गए शब्द विधायिका के इरादे को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।इस अधिरोपण की परिकल्पना बिजली इकाइयों के उत्पादन पर की गई थी। यह शुल्क उत्पादन पर था न कि बिजली की बिक्री या खपत पर। विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 की धारा 3 में प्रयुक्त भाषा और वास्तव में उसी की धारा 3(1) में प्रयुक्त भाषा से एक सचेत भाषाई विचलन है। अधिनियम जहां विद्युत ऊर्जा के वितरकों द्वारा बेची या आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा की कुल इकाइयों पर उपकर लगाया जाता है। उसी धारा की उप–धारा (2) के तहत उत्पादकों के साथ व्यवहार करते समय, ''उत्पादित विद्युत ऊर्जा की कुल इकाइयों पर'' उपकर का भुगतान करना आवश्यक है। यदि, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा तर्क दिया गया है, धारा (1) और उपधारा (2) के तहत लेवी की घटना समान थी, तो दोनों उपधाराओं में एक ही भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए था। जहां तक त्पादकों का सवाल है, भाषा में जानबूझकर किया गया बदलाव लेवी की विषय–वस्तु को बदलने के इरादे को दर्शाता है।

15. धारा 3 की उपधारा (2) की हमारी व्याख्या उक्त उपधारा के परंतुक की भाषा और प्रभाव के अनुरूप है। यह माना गया है कि परंतुक का सामान्य कार्य अधिनियम से बाहर किसी चीज को छोड़ना या उसमें अधिनियमित किसी चीज को योग्य बनाना है जो कि परंतुक के अलावा अधिनियम के दायरे में होगा। धारा 3(2) का प्रावधान पांच मामलों में उपकर के भुगतान से ''उत्पादित विद्युत ऊर्जा'' को बाहर करता है। इससे पता चलेगा कि धारा 3(2) का सामान्य अनुप्रयोग, जिसमें परंतुक द्वारा एक अपवाद बनाया जा रहा था, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के संबंध में था। क्या यह धारा 3(2) के परंतुक में अपवाद के लिए नहीं था, जो कर के अधीन होगा वह प्रावधान के तहत उल्लिखित पांच श्रेणियों द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा होगी। यद्यपि श्रेणियों में (i), (ii), (iii) और (v) छूट उत्पादित विद्युत ऊर्जा के उपयोग के संदर्भ में दी गई है, अपवाद के तहत (iv) महत्वपूर्ण रूप से, पंजीकृ त ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति द्वारा उत्पादित सभी विद्युत ऊर्जा मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 के तहत छूट दी गई है। धारा 3 की उपधारा (2) के परंतुक और धारा 3 की उपधारा (1) के परंतुक के बीच भाषा का अंतर भी बता रहा है। उप–धारा (1) के प्रावधान के तहत, अपवाद निर्दिष्ट प्राधिकारियों को बेची या आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा का है।

16. विधानमंडल का इरादा बिजली के उत्पादन पर उपकर लगाने का था, यह उस अधिनियम के साथ आए उद्देश्यों और कारणों के विवरण से भी पता चलता है जिसने अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया था। इसे कहते हैं:

> ''उत्पादकों द्वारा अपने कैप्टिव पावर प्लांटोंध्डीजल उत्पादन सेटों से उत्पादित बिजली पर स्वयं उपभोग के लिए या सभी उत्पादित बिजली इकाइयों पर 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिक्री के लिए उपकर लगाने की दृष्टि से, इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। '' मध्य प्रदेश उपकार अधिनियम, 1981 (1982 का 1) उपयुक्त रूप से।''
>
> 17. इन परिस्थितियों में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि संशोधन द्वारा बिजली उत्पादन पर लेवी लगाने की मांग की गई थी, एक लेवी जिसे राज्य ने स्वीकार किया था कि वह लगाने में अक्षम था।

83) अब इस न्यायालय के विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या विवादित अधिनियम दुर्भावनापूर्ण है या राज्य की विधायी शक्तियों का रंगीन प्रयोग है, जब यह आरआईए समझौते में या अन्यथा, याचिकाकर्ताओं के साथ पूर्व में हस्ताक्षर किए गए वादे को खत्म कर देता है। अधिनियम के प्रारंभ के लिए?

84) **केसी गजपति नारायण देव**[22] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रंगीन कानून के सिद्धांत के दायरे और अर्थ की जांच करते हुए निम्नानुसार माना है:

''9. शुरुआत में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि रंगीन कानून के सिद्धांत में विधायिका की ओर से 'सच्चाई' या 'दुर्भावना' का कोई प्रश्न शामिल नहीं है। संपूर्ण सिद्धांत स्वयं को सक्षमता के प्रश्न में हल करता है। किसी विशेष कानून को अधिनियमित करने के लिए किसी विशेष विधायिका का। यदि विधायिका किसी विशेष कानून को पारित करने में सक्षम है, तो जिन उद्देश्यों ने उसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, वे वास्तव में अप्रासंगिक हैं। दूसरी ओर, यदि विधायिका में योग्यता का अभाव है, तो मकसद का सवाल ही नहीं उठता है बिल्कुल भी। कोई कानून संवैधानिक है या नहीं, यह हमेशा सत्ता का प्रश्न है। हालाँकि, एक अंतर, एक ऐसी विधायिका के बीच मौजूद है जो ब्रिटिश संसद की तरह कानूनी रूप से सर्वशक्तिमान है और उसके द्वारा प्रख्यापित कानूनों को अक्षमता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, और एक विधायिका जिसे केवल एक सीमित या योग्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

यदि किसी राज्य का संविधान विधायी शक्तियों को विभिन्न निकायों के बीच वितरित करता है, जो विशिष्ट विधायी प्रविष्टियों द्वारा चिह्नित अपने संबंधित क्षेत्रों के भीतर कार्य करना होगा, या यदि मौलिक अधिकारों के रूप में विधायी प्राधिकार पर सीमाएं हैं, तो सवाल उठता है कि क्या किसी विशेष मामले में विधायिका के पास है या नहीं। कानून की विषय—वस्तु या इसे अधिनियमित करने की विधि में, इसकी संवैधानिक शक्तियों की सीमा का उल्लंघन किया गया है। ऐसा अपराध स्पष्ट, प्रकट या प्रत्यक्ष हो सकता है, लेकिन यह प्रच्छन्न, गुप्त और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है और यह मामलों के इस बाद वाले वर्ग के लिए है कि अभिव्यक्ति ''रंगीन कानून'' को कुछ न्यायिक घोषणाओं में लागू किया गया है। अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त विचार यह है कि यद्यपि स्पष्ट रूप से एक विधायिका एक कानून पारित करने में अपनी शक्तियों की सीमा के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य है, फिर भी सार रूप में और वास्तव में इसने इन शक्तियों का उल्लंघन किया, उचित परीक्षण करने पर यह अपराध केवल उपस्थिति या भेष के रूप में प्रकट होता है। जैसा कि ओंटारियो बनाम पारस्परिक बीमाकर्ताओं और अन्य के लिए अटॉर्नी—जनरल में डफ जे. द्वारा कहा गया था, 1924 ए सी 328 पृष्ठ पर 337 (बी):

> ''जहां कानून बनाने का अधिकार सीमित या योग्य चरित्र का है, वहां विधायिका वास्तव में क्या कर रही है यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कानून के सार की कुछ सख्ती से जांच करना आवश्यक हो सकता है।''

दूसरे शब्दों में, यह अधिनियम का सार है जो भौतिक है न कि केवल रूप या बाहरी रूप, और यदि विषय–वस्तु वास्तव में कुछ ऐसा है जिस पर कानून बनाना उस विधायिका की शक्तियों से परे है, तो वह स्वरूप जिसमें कानून का ढाँचा उसे निंदा से नहीं बचाएगा। विधायिका अप्रत्यक्ष तरीका अपनाकर संवैधानिक निषेधों का उल्लंघन नहीं कर सकती। इस तरह के मामलों में, जांच हमेशा चुनौती दिए गए कानून की वास्तविक प्रकृति और चरित्र के बारे में होनी चाहिए और यह ऐसी जांच का परिणाम है, न कि केवल उसका स्वरूप जो यह निर्धारित करेगा कि यह उस विषय से संबंधित है या नहीं जो इसके अंतर्गत आता है। विधायी प्राधिकारी की शक्ति. इस जांच के प्रयोजन के लिए अदालत निश्चित रूप से कानून के प्रभाव की जांच कर सकती है और इसके उद्देश्य पर विचार कर सकती है, उद्देश्य या डिजाइन. लेकिन ये केवल अधिनियम के वास्तविक चरित्र और सार और कानून के विषयों के वर्ग का पता लगाने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं, जिनसे यह वास्तव में संबंधित है, न कि उन उद्देश्यों का पता लगाने के लिए जिन्होंने विधायिका को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया।

कैनेडियन संविधान पर अपने सुप्रसिद्ध कार्य में लेफ्रॉय द्वारा कहा गया है कि भले ही विधायिका किसी अधिनियम के आरंभ में यह स्वीकार करती है कि वह किसी ऐसे विषय के संदर्भ में कानून बनाने का इरादा रखती है जिस पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, फिर भी यदि विधानमंडल के अधिनियमित खंड अधिनियम कानून को अपनी शक्तियों के भीतर लाता है, अधिनियम को 'अल्ट्रा वायर्स' नहीं माना जा सकता है।''

85) अधिनियम को पढ़ने से पता चलता है कि लगाए गए कर की प्रकृति 'बिजली उत्पादन' पर नहीं बल्कि 'पानी के उपयोग' या कहें 'बिजली उत्पादन के लिए खींचे गए पानी' पर है। 'पानी खींचा गया' शब्द का अर्थ बिजली उत्पादन के लिए पानी का वास्तविक उपयोगकर्ता है। कर का भार जल निकालने या उसके उपयोगकर्ता की गतिविधि पर है न कि उत्पादन पर। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन यह स्थापित करता है कि कर की घटना, जैसा कि धारा 4 , 5 , 8 , 9 , 10 , 12 , 17 , 18 और 19 में परिकल्पित हैबिजली पैदा करने के लिए खींचे गए पानीध्उपयोग पर स्पष्ट रूप से असर पड़ता है। बिजली का उत्पादन केवल उपयोगकर्ता के प्रकार की पहचान करता है, यानी बिजली उत्पादन के लिए उपयोगकर्ता। यह केवल इस उपयोग को अन्य उपयोगों से अलग करने के लिए है जिन पर कर नहीं लगाया जाना है। यदि यह कर बिजली उत्पादन पर लगाया जाना था तो विधायिका सौर या पवन उत्पादन जैसी अन्य प्रकार की बिजली पीढ़ियों को छूट नहीं दे सकती थी। इसे ''उपयोगकर्ता द्वारा खींचा गया

पानी'' और ''बिजली का उत्पादन'' वाक्यांश के बीच 'के लिए' शब्द के उपयोग से भी स्पष्ट किया जाता है। यह एक बार फिर दर्शाता है कि कर बिजली उत्पादन के लिए पानी खींचने की गतिविधि पर हैं, (आई) और (एच)। अतः कानून बनाने में विधायिका की योग्यता वर्तमान मामले में पूरी तरह साबित हो गई है। यदि विधायिका किसी विशेष कानून को पारित करने में सक्षम है, तो जिन उद्देश्यों ने उसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया, वे वास्तव में अप्रासंगिक हैं। कोई कानून संवैधानिक है या नहीं यह हमेशा सत्ता का प्रश्न है। अधिनियम का सार भौतिक है न कि रूप या बाहरी दिखावट। इस प्रकार, एक बार जांच के बाद अदालत अधिनियम के उद्देश्य, उद्देश्य या डिजाइन पर विचार करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचती है तो यह निश्चित रूप से अधिनियम के वास्तविक चरित्र और सार का पता लगा सकती है और जिन उद्देश्यों ने विधायिका को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया वह विस्मृत हो जाता है।

86) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने न तो निकाले गए पानी को मापने के लिए परिसर के भीतर कोई प्रवाह मापने वाला उपकरण स्थापित किया था और न ही उपयोग किए गए पानी की मात्रा को मापने के लिए कोई वैकल्पिक तरीका अपनाया थाय और प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए व्यय को समायोजित करने के लिए कोई विनिर्देश निर्धारित नहीं किया। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना विवादित नोटिस जारी किया गया था ।

87) आगे की चर्चा से पहले विवादित अधिनियम की धारा 14 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा । खींचे गए पानी का आकलन करने की प्रक्रिया के लिए अधिनियम की धारा 14.1 को इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

> ''आयोग योजना के परिसर के भीतर या ऐसे अन्य स्थान पर प्रवाह मापने वाला उपकरण स्थापित करेगा या स्थापित कराएगा जहां आयोग बिजली उत्पादन के लिए खींचे गए पानी को मापने के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त समझे या खींचे गए पानी के आकलन के लिए कोई अप्रत्यक्ष विधि अपना सकता है। उपयोगकर्ता द्वारा।''

88) अधिनियम की धारा 14.2 निम्नानुसार प्रदान करती हैः

> ''आयोग या तो अपने परिसर में या अपने स्थान पर या आयोग द्वारा निर्देशित किसी अन्य स्थान पर आयोग द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के

अनुसार प्रवाह मापने वाला उपकरण स्थापित कर सकता है या स्थापित करने की आवश्यकता कर सकता है और उसके बाद ऐसे द्वारा किए गए व्यय को समायोजित कर सकता है। ऐसी स्थापना पर उपयोगकर्ता को जल कर देय होगा।''

89) जहां तक प्रवाह मापने वाले उपकरण की स्थापना का सवाल है, अधिनियम की धारा 14 तीन विकल्प निर्धारित करती हैः

(ए) आयोग स्वयं इसे योजना के परिसर में स्थापित कर सकता हैय

(बी) कमीशन के कारण उपयोगकर्ता द्वारा उपकरण स्थापित किया जा सकता है, साथ ही लागत को भुगतान किए जाने वाले कर के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति दी जाएगीय और

(सी) यह खींचे गए पानी के आकलन के लिए कोई भी अप्रत्यक्ष तरीका अपना सकता ळे,

इस प्रकार, अधिनियम की धारा 14.1 और 14.2 आयोग के लिए प्रवाह मापने वाला उपकरण स्थापित करना अनिवार्य बनाती है।

90) अधिनियम की धारा 14.1 के तहत आयोग द्वारा ''प्रवाह मापने वाले उपकरणों'' को स्थापित नहीं किए जाने के संबंध में याचिकाकर्ताओं का दावा उपयोगकर्ता द्वारा खींचे गए पानी के मूल्यांकन के लिए अप्रत्यक्ष पद्धति अपनाने के तीसरे विकल्प में आता है। यह विधि आयोग के विवेक पर छोड़ दी गई है। जब याचिकाकर्ता पिछले तीन वर्षों में निकाले गए पानी या वर्तमान उपयोगकर्ता के बारे में आवश्यक जानकारी दर्ज करने और प्रदान करने में विफल रहे, तो आयोग के पास उपयोगकर्ता द्वारा खींचे गए पानी और कर का सर्वोत्तम निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। देय, पिछले वर्षों के प्रासंगिक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर। सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन के आधार पर, देय कर की गणना में भरोसा करने वाले सभी कारकों का खुलासा करते हुए, उपयोगकर्ताओं को नोटिस भेजे गए थे। याचिकाकर्ताओं को सूचित किया गया कि मूल्यांकन अनंतिम हैं और अंतिम नहीं हैं। ये नोटिस 30 तारीख के आदेश में नोडल कार्यालय नियुक्त किए गए अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी किए गए थे। 10.2015. इस आदेश में आगे की कार्रवाई के लिए शक्तियों का उचित प्रत्यायोजन भी शामिल है। इस प्रकार, प्रतिवादी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को अनुचित नहीं कहा जा सकता।

91) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का यह भी तर्क है कि आज तक राज्य आयोग, जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (बी) के साथ पढ़ी

गई धारा 20 के तहत आवश्यक है, स्थापित नहीं किया गया है और इसलिए, के कार्य धारा 12 के तहत इकाइयों का पंजीकरण या उपयोगकर्ता द्वारा खींचे गए पानी का मूल्यांकन, कर की गणना या अधिनियम की धारा 14,17,18 और 19 के तहत इसका अधिरोपण नहीं किया जा सकता है।

92) अधिनियम की धारा 2(बी) को संशोधन अधिनियम संख्या 4, 2016 के माध्यम से संशोधित किया गया था। जिसके द्वारा उत्तराखंड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013 (2016 के संशोधन अधिनियम संख्या 3 द्वारा संशोधित) की धारा 3 के तहत गठित "आयोग" को "आयोग" के रूप में अपनाया या शामिल किया गया था। धारा 20(1) स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति पर विचार करती है जहां आयोग की स्थापना समय पर नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में, प्रमुख सचिव/सचिव (सिंचाई) को अधिनियम के तहत आयोग के सभी कार्यों का निर्वहन करना था। इस संबंध में धारा 20(1) के प्रावधान के तहत आदेश दिनांक 30.10.2015 जारी किया गया था। प्रमुख सचिव (सिंचाई), सरकार की नियुक्ति। उत्तराखंड आयोग के कार्यों का निर्वहन करने के लिए। ये प्रावधान स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि एक प्राधिकरण था जो आयोग के सभी कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिनियम के तहत कार्यात्मक था। इस प्रकार, इकाइयों द्वारा खींचे गए पानी का मूल्यांकन और धारा 12 के तहत उनका पंजीकरण य धारा 14 से 19 के तहत कर का निर्धारण और गणना तथा उसकी वसूली आयोग की अनुपस्थिति में भी कानूनी रूप से की जा सकती है।

93) यूपी0पी0सी0एल0 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री यू0के0 उनियाल ने इस न्यायालय का ध्यान 8 फरवरी 2006 के आर0आई0ए0 के खंड 17 की ओर आकर्षित किया, जो "बिजली की डिलीवरी" से संबंधित है। आर0आई0ए0 के खंड 17.1 में कहा गया है कि उत्तरांचल सरकार (अब उत्तराखंड) परियोजना से बिक्री योग्य ऊर्जा का 12% निःशुल्क पाने का हकदार होगा। जी0ओ0यू0पी0/यूपी0पी0सी0एल0 और कंपनी इस बात पर सहमत हैं कि यह 12% मुफ्त बिक्री योग्य ऊर्जा कंपनी द्वारा जी0ओ0यू0 को उस 12% बिक्री योग्य ऊर्जा के बदले में आपूर्ति की जाएगी जो पहले कंपनी द्वारा जी0ओ0यू0पी0/यूपी0पी0सी0ई0बी0, को मुफ्त आपूर्ति की जानी थी। यह जोरदार तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तराखंड सरकार को राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बदले रॉयल्टी के रूप में 12% बिक्री योग्य ऊर्जा निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

94) यू0पी0पी0सी0एल0 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील की दलील में कोई दम नहीं है। जहां तक उत्तराखंड राज्य को 12% बिक्री योग्य ऊर्जा उपलब्ध कराने का सवाल है, इसे ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के बिजली और लाभ साझाकरण फार्मूले में प्रदान किया गया है। जल–विद्युत परियोजना की स्थापना के कारण होने वाले संकट के मुआवजे के लिए भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.11.1990, जबकि अधिनियम के अनुसार पानी के उपयोग पर कर की वसूली उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए है। यह रिकॉर्ड में आया है कि राज्य ने बिजली उत्पादन के लिए पानी के उपयोग पर समान कर लगाया है, यहां तक कि बिजली उत्पादन के लिए जिम्मेदार अपने स्वयं के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भी, और इस प्रकार, किसी भी तरह से अनुबंध के प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इस के अलावा, इसलिए, बिजली उत्पादन के प्रयोजनों के लिए पानी का उपयोग करने वाले सभी लोगों पर एक समान कर लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि राजस्व स्रोत बहुत कम हैं।

95) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाया गया दूसरा बिंदु यह है कि लगाया गया कर उपयोग किए गए पानी की मात्रा पर आधारित नहीं है, बल्कि बांध की विभिन्न हेड ऊंचाई पर प्रति घन मीटर के आधार पर पानी के प्रवाह दर पर आधारित है। बिजली उत्पादन के उद्देश्य से यह तर्क दिया गया है कि विवादित अधिनियम में कर की दरों के अवलोकन से पता चलेगा कि यह सीधे तौर पर मुखिया की ऊंचाई से संबंधित है। कर लगाने के आधार के रूप में, बिजली उत्पादन के लिए संग्रहीत और उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का कोई उल्लेख नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे यह प्रस्तुत करेंगे कि कर का उद्ग्रहण केवल इस आधार पर आधारित है कि 'उच्च हेड, उपयोग किए गए पानी की समान मात्रा के लिए उतनी अधिक बिजली उत्पन्न होगी'। इस प्रकार, लेवी पानी के उपयोग पर नहीं बल्कि उत्पादित बिजली की मात्रा पर है। यह सिर की ऊंचाई पर निर्भर करता है और इसका 'पानी के उपयोग' से कोई संबंध नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि हेड की ऊंचाई उत्पन्न बिजली की इकाइयों की संख्या के सीधे आनुपातिक है, जितना अधिक हेड, उतनी अधिक बिजली की इकाईयां उत्पन्न होंगी। हालाँकि रिट याचिका में ऐसा आधार लिया गया है, लेकिन इसे खुशी से नहीं कहा गया है। जहां तक हेड की ऊंचाई में भिन्नता का सवाल है, हेड जितना ऊंचा होगा, उससे अधिक पानी बहेगा जिसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बिजली उत्पन्न होगी। ये अंदर है हालाँकि रिट याचिका में ऐसा आधार लिया गया है, लेकिन इसे खुशी से नहीं कहा गया है। जहां तक हेड की ऊंचाई में भिन्नता का सवाल है, हेड जितना ऊंचा होगा, उससे अधिक पानी बहेगा जिसके

परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बिजली उत्पन्न होगी। ये अंदर है हालाँकि रिट याचिका में ऐसा आधार लिया गया है, लेकिन इसे खुशी से नहीं कहा गया है। जहां तक हेड की ऊंचाई में भिन्नता का सवाल है, हेड जितना ऊंचा होगा, उससे अधिक पानी बहेगा जिसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बिजली उत्पन्न होगी। ये अंदर है पानी के उपयोग के साथ सहसंबंध और इसे अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। यह एक सामान्य सिद्धांत है कि सिर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी उतनी अधिक यूनिट बिजली उत्पन्न होगी। दूसरी ओर, कम ऊंचाई वाले निचले हेड से उपयोग किए जाने वाले पानी से कम यूनिट बिजली पैदा होगी। इस प्रकार, कराधान में भेदभाव उचित और उचित है। इसलिए, राज्य द्वारा लगाया गया कर बिजली उत्पादन पर कर है न कि पानी के उपयोग पर।

96) यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि लेवी की प्रकृति और चरित्र, इसका सार और सार, कर योग्य घटना या कर की घटना को केवल कानून को समग्र रूप से पढ़कर ही देखा जा सकता है। धारा 2(एफ0), 2(जी0) और 2(आई0) का एक स्पष्ट पाठ, धारा 4 , 5 , 8 , 9 , 10 , 12 , 14 , 17 , 18 और 19 के साथ पढ़ा जाए। अधिनियम से पता चलेगा कि कर 'बिजली उत्पादन के लिए निकाले गए पानी' के संबंध में है, जैसे कि लेवी इसके उपयोगकर्ता द्वारा पानी खींचने की गतिविधि पर है। इसमें कहा गया है कि केवल पानी के ऐसे उपयोगकर्ता पर कर लगाया जाना चाहिए, जो केवल और केवल बिजली उत्पादन के लिए पानी खींच रहा है। पानी निकालते ही टैक्स लगा दिया जाता है। यह मुख्य रूप से किसी भी जल स्रोत से पानी खींचने के लिए उपयोगकर्ता पर लगाया जाने वाला कर है। किसी को विधायिका की मंशा को नहीं भूलना चाहिए कि कर का विषय 'पानी का उपयोगकर्ता' है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन कर का भार केवल पानी खींचने पर पड़ता है, बिजली उत्पादन पर नहीं। इस प्रकार, राज्य विधायिका ने सही ढंग से 'पानी प्रति घन मीटर खींचे जाने पर पैसा' बना दिया है अधिनियम लागू करते समय कर का माप, न कि 'उत्पादित बिजली की इकाईयाँ'। राज्य विधायिका बिजली उत्पादन के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले विभिन्न बांधों की विभिन्न हेड ऊंचाई के आधार पर प्रति घन मीटर के आधार पर पानी के प्रवाह दर पर कर लगाने की अपनी क्षमता में है।

97) **भानुमति**[3] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने इस बिंदु पर जोर दिया कि न्यायालय को किसी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती पर कैसे विचार करना चाहिए। प्रासंगिक पैराग्राफ 82 से 86 यहां दिए गए हैं:

''82 **बिहार डिस्टिलरी लिमिटेड**[11] में, इस न्यायालय ने एससीसी पैरा 17 पृष्ठ 466 में किसी अधिनियम की संवैधानिकता का न्याय करने के तरीके पर कुछ सिद्धांत निर्धारित किए। इस न्यायालय ने माना कि इस अभ्यास में न्यायालय को यह करना चाहिएः

(ए) जहां तक संभव हो विवादित कानून की वैधता को बनाए रखने का प्रयास करें। यह अधिनियम को तभी रद्द कर सकता है जब इसे बनाए रखना असंभव हो।

(बी) न्यायालय को अधिनियम में खामियां निकालने या प्रारूपण में या प्रयुक्त भाषा में दोष खोजने की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।

(सी) न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि विधायिका द्वारा बनाया गया अधिनियम लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

(डी) न्यायालय को अधिनियम को तभी रद्द करना चाहिए जब असंवैधानिकता स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से स्थापित हो।

(ई) न्यायालय को विधायी प्रक्रिया की मौलिक प्रकृति और महत्व को पहचानना चाहिए और इसे उचित सम्मान और आदर देना चाहिए।

इस न्यायालय ने उन सिद्धांतों को इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से अलग कर दिया।

83. बिहार राज्य (सुप्रा) में इस न्यायालय ने सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम आशेर, (1949) 2 के0बी0 481 में लॉर्ड डेनिंग की टिप्पणियों पर भी विचार किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी कानून को लागू करने में न्यायाधीश का काम रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। संसद की मंशा का पता लगाने का कार्य और यह (ए) न केवल कानून की भाषा से किया जाना चाहिए बल्कि (बी) उन सामाजिक परिस्थितियों पर विचार करके भी किया जाना चाहिए जिन्होंने इसे जन्म दिया (सी) और उस शरारत पर भी विचार किया जाना चाहिए जिसका समाधान किया जाना चाहिए कानून पारित किया गया था और यदि आवश्यक हो तो (डी) न्यायाधीश को लिखित शब्द को पूरक करना चाहिए ताकि विधायिका के इरादे को ''जीवन को बल'' दिया जा सके।

84. **धरम दत्त**[5] में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर भी भरोसा किया गया था। यह निर्णय अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के उस तर्क से निपटने के लिए प्रासंगिक है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि को ''दो वर्ष'' से घटाकर ''एक वर्ष'' करने और फिर आवश्यक बहुमत को 2/3 से कम करने के लिए साधारण बहुमत के बावजूद, विधायिका एक स्थानीय नेता से छुटकारा पाने के लिए कुछ

प्रभावशाली मंत्रियों के भयानक इरादे से निर्देशित थी, जो पंचायत के प्रधान के रूप में, राज्य के मंत्री का बहुत शक्तिशाली और प्रतिस्पर्धी बन सकता था।

85. धरम दत्त (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय ने माना कि यदि विधायिका किसी विशेष कानून को पारित करने में सक्षम है, तो जिन उद्देश्यों ने उसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया, वे वास्तव में अप्रासंगिक हैं। यदि विधायिका में क्षमता है, तो मकसद का सवाल ही नहीं उठता और उस मकसद की किसी भी जांच से कोई फायदा नहीं होगा जिसने संसद को अधिनियम पारित करने के लिए राजी किया।

86. **मिर्जापुर मोती कुरेशी कसाब जमात**[4] में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया गया था। लाहोटी, सी0जे0 एस0सी0सी0 रिपोर्ट पी. 562, के पैरा 39 में निर्धारित बेंच के लिए बोल रहे हैं, में कहा गया है कि विधायिका संविधान में उल्लिखित लोगों की जरूरतों को समझने और उनकी सराहना करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। न्यायालय विधायी प्रक्रिया में तभी हस्तक्षेप करेगा जब कानून स्पष्ट रूप से भाग III के तहत किसी नागरिक को प्रदत्त अधिकार का उल्लंघन करता हो या जब अधिनियम विधायिका की विधायी क्षमता से परे हो। निःसंदेह न्यायालय को हमेशा कानूनों की संवैधानिकता के पक्ष में धारणा को पहचानना चाहिए और इसकी अमान्यता साबित करने का दायित्व उस पक्ष पर भारी पड़ता है जो इस पर हमला करता है।''

98) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और *भानुमती के फैसले* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि न्यायालय को अधिनियम को तभी रद्द करना चाहिए जब कोई अन्य संभावित तरीका न हो जिसके द्वारा अधिनियम बनाया जा सके। निरंतर। न्यायालय को अधिनियम में खामियाँ निकालने या मसौदा तैयार करने या प्रयुक्त भाषा में दोष खोजने की दृष्टि से इस पर विचार करने से बचना चाहिए। यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि जो अधिनियम बना है विधायिका द्वारा लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व किया जाता है और यह व्यापक रूप से जनता के हित में है। अंत में, न्यायालय को विधायी प्रक्रिया की मौलिक प्रकृति और महत्व को पहचानना चाहिए और उसे उचित सम्मान और आदर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि विधायिका किसी विशेष कानून को पारित करने में सक्षम है, तो जिन उद्देश्यों ने उसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया, वे वास्तव में अप्रासंगिक हैं। यदि विधायिका में सक्षमता है, तो मकसद का सवाल ही नहीं उठता और उस मकसद की किसी भी जांच से कोई फायदा नहीं होगा जिसने विधायिका को अधिनियम पारित करने के लिए प्रेरित किया। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान में उल्लिखित लोगों की जरूरतों को समझने और उनकी सराहना करने के लिए विधायिका सबसे अच्छी

स्थिति में है। न्यायालय विधायी प्रक्रिया में तभी हस्तक्षेप करेगा जब अधिनियम विधायिका की विधायी क्षमता से परे हो और यह मौलिक अधिकार या संविधान के किसी अन्य स्पष्ट प्रावधान का उल्लंघन करता हो। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय को हमेशा कानूनों की संवैधानिकता के पक्ष में धारणा को पहचानना चाहिए और इसकी अमान्यता साबित करने का दायित्व उस पक्ष पर बहुत अधिक होता है जो इस पर हमला करता है। संविधान स्वयं किसी मानक कर निर्धारण प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता है, सिवाय इसके कि यह निष्पक्ष, उचित और पारदर्शी होनी चाहिए। चूँकि कर कानून एक आर्थिक कानून है, न्यायालय को दृष्टिकोण में न्यायिक संयम बरतना चाहिए और विधायिका को अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। राज्य विधायिका द्वारा कर कानून बनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से सार्वजनिक हित है, क्योंकि राज्य को कर की आवश्यकता है, पैसा, और अंततः बड़े पैमाने पर लोगों के कल्याण में उपयोग किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत हित की कीमत पर सार्वजनिक हित का त्याग नहीं किया जाना चाहिए।

99) यह सूचित किया गया है कि वर्तमान रिट याचिकाओं के बैच में याचिकाकर्ता इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 31.05.2016 के आदेश, डब्ल्यूपीएमएस संख्या में पारित अंतरिम आदेश का आनंद ले रहे थे। 2016 का 1500। वही अंश यहां नीचे दिया गया हैः

> ''याचिकाकर्ता के वकील श्री डीएस पाटनी।
>
> श्री पीसी बिष्ट, उत्तराखंड राज्य /प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 7 और 8 के लिए स्थायी वकील।
>
> श्री राकेश थपलियाल, प्रतिवादी संख्या 2 के वकील।
>
> श्री संजय भट्ट, प्रतिवादी संख्या 6 के लिए केंद्र सरकार के स्थायी वकील।
>
> श्रीमती बीना पांडे, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए स्थायी वकील/प्रतिवादी संख्या 10 और 11 सुना।
>
> प्रतिवादी संख्या 9. को नोटिस जारी करें। एक सप्ताह के भीतर कदम उठाए जाएं।
>
> उक्त प्रतिवादी को नोटिस तामील होने के बाद सूची बनाएं।
>
> साथ ही अंतरिम राहत अर्जी पर भी सुनवाई की. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि यदि, अंततः, न्यायालय निर्णय लेता है

कि याचिकाकर्ता जल कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, तो याचिकाकर्ता निश्चित रूप से इसे राज्य सरकार के पक्ष में जमा करेगा।

अंतरिम राहत आवेदन संख्या. 5226ध्2016 को प्रतिवादी क्रमांक को निर्देशित कर निस्तारित किया जाता है। 7 याचिकाकर्ता से जल कर की मांग की वसूली के लिए कठोर कदम न उठाएं, जो उक्त प्राधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 26.04.2016 (रिट याचिका के लिए अनुलग्नक संख्या 8) के माध्यम से जारी किया गया था।

जैसा कि प्रार्थना की गई है, उत्तरदाताओं को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया जाता है।''

100) इस अदालत की राय है कि ऐसा अंतरिम आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में निर्धारित कानून के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। इसलिए, रिट याचिकाओं के बैच में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में इस न्यायालय द्वारा पहले दिए गए अंतरिम आदेश रद्द हो गए हैं।

101) आगे बताया गया है कि नोडल अधिकारी ने पिछले वर्षों के प्रासंगिक उपलब्ध आंकड़ों के साथ–साथ पानी के पिछले उपयोग के आधार पर याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा खींचे गए पानी और उस पर देय कर का अनंतिम मूल्यांकन किया है। सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्तमान आंकड़े। इस तरह की कवायद की आवश्यकता याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा स्रोत से खींचे गए पानी से संबंधित प्रासंगिक डेटा को अस्वीकार करने के कारण उत्पन्न हुई है।

102) प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने अदालत के समक्ष एक संकलन रखा है जिसमें दिखाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने बिजली की लागत की गणना करते समय राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जल कर को शामिल किया है। प्रतिवादी राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क को याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने अस्वीकार कर दिया है। जो भी हो, तथ्य यह है कि चूंकि इस न्यायालय द्वारा अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा गया है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि याचिकाकर्ताओं ने बिजली उत्पादन की लागत में जल कर को शामिल किया है या नहीं।

103) मूल्यांकन याचिकाकर्ता कंपनियों की आपत्तियों के अधीन अनंतिम रूप से किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अनंतिम मूल्यांकन पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि उन्होंने सीधे इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। एक ओर, याचिकाकर्ताओं ने संवैधानिक वैधता और अधिनियम की शक्तियों को चुनौती दी है, दूसरी ओर, वे उन्हें जारी किए गए नोटिस की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। जहां तक नोटिस की वैधता का सवाल है, सबसे पहले यह याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की जाने वाली आपत्तियों के अधीन एक अनंतिम मूल्यांकन हैय दूसरे, इस न्यायालय द्वारा अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। इस प्रकार, अनंतिम मूल्यांकन और याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए मांग नोटिस में कोई दोष नहीं जोड़ा जा सकता है।

104) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, उपरोक्त सभी रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

(लोकपाल सिंह, जे.)

<u>दिनांक 12 फरवरी 2021.</u>